[2022] 19 एस. सी. आर. 1045

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर.

वी.

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

(2022 की सिविल अपील No.5929)

02 सितंबर, 2022

[सूर्या कान्ट और अभय एस. ओका, जे. जे.]

महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम, 1966। 37 (1) , 126- मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888-एस. 61 (एम), 63,

90 (1) & (3) , 91 , 291 , 296- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894। 4 , 5 ए, 6,11- भूमि अधिग्रहण-दो कानूनों के बीच संघर्ष-सामंजस्यपूर्ण

निर्माण-जनहित-शक्ति का रंगीन प्रयोग अपीलार्थियों ने अपनी भूमि पर सड़क के निर्माण का विरोध किया विकास योजना (डी. पी.) में प्रस्तावित प्रत्यर्थी संख्या 2 (मुंबई नगर निगम)-प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधिनियम, 1966 की धारा 37 (1) के तहत एक निर्देश जारी किया जिसमें एक जोड़ने वाली सड़क की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था, लेकिन कहा गया था कि अपीलार्थियों की भूमि के माध्यम से एक 18.30 मीटर सड़क का निर्माण करना "संभव नहीं" था-प्रत्यर्थी संख्या 2 ने धारा 2 के तहत अपीलार्थियों की भूमि के माध्यम से लिंक सड़क का निर्माण करने के प्रस्ताव को नवीनीकृत किया। 126 एम. आर. टी. पी. अधिनियम और एस. एस. 90 (1) & (3) मुंबई नगर निगम अधिनियम (एम. एम. सी.)-अपीलकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए, मुख्य अभियंता (विकास योजना) के कार्यालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को एक आवेदन भेजा-अपीलकर्ताओं ने पहले से ही लंबित रिट में प्रस्ताव की सूचना दायर की, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को रोकने की मांग की गई, जिसे एल. ए. ए. के तहत उच्च न्यायालय अधिग्रहण अभ्यास द्वारा खारिज कर दिया गया था-प्रत्यर्थी संख्या 10 और 11 ने एस. एस. के तहत अधिसूचना जारी की। 4 और एल. ए. ए. एक्ट के 6 में यह निर्देश दिया गया है कि अपीलार्थियों की भूमि का अधिग्रहण जनहित में किया जाए, संपत्ति के संबंध में यथास्थिति के लिए अपीलार्थियों की अंतरिम प्रार्थना को उच्च न्यायालय-उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

जनहित में संपर्क सड़क के निर्माण के लिए अपीलकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता की पुष्टि की-उच्च न्यायालय ने कहा कि एम. एम. सी. अधिनियम ने प्रतिवादी संख्या 2 को भूमि अधिग्रहण करने और एक नई सड़क बनाने की शक्ति प्रदान की, जिसके लिए न तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। , न ही डी. पी.-एम. एम. सी. अधिनियम और एम. आर. टी. पी. अधिनियम में प्रतिबिंबित होने वाली सड़क के लिए अलग-अलग शक्तियां हैं, और

पूर्व के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 को निहित रूप से निरस्त नहीं किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल इसलिए कि यह एक बाद का क़ानून था-क्या एम. एम. सी. और एम. आर. टी. पी. अधिनियम के बीच टकराव है-आयोजित किया गयाः केवल इसलिए कि दोनों कानून भूमि अधिग्रहण से संबंधित हैं, हो सकता है कि नहीं अनिवार्य रूप से उनके बीच संघर्ष का परिणाम होगा-न्यायालय का प्रयास होगा

हमेशा ऐसे प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण रूप से निर्माण करना चाहिए ताकि दोनों कानूनों में अंतर्निहित विधायी इरादे को पूरा किया जा सके-एस. एस. के तहत शक्तियों के प्रयोग पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है। 91 , 291 (क), और एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 296। न केवल राज्य सरकार करती है। पहले धारा 91 के तहत आवेदन का मूल्यांकन करें, लेकिन एल. ए. ए. की धारा 5 ए का भी मूल्यांकन करें।

भूमि मालिकों को स्वयं अपनी शिकायतों को व्यक्त करने की अनुमति देता है-दोनों कानून कुछ हद तक ओवरलैप के साथ-साथ मौजूद हैं-प्रक्रियात्मक नियमों को कानून के मूल उद्देश्य को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए-कई स्थितियों में, कई लोगों की ज़रूरतें कुछ लोगों की ज़रूरतों से अधिक होनी चाहिए-सार्वजनिक हित की धारणा अनिवार्य रूप से दर्शाती है

वर्तमान स्थिति की विशिष्टताएँ-वर्तमान मामला एक उपयुक्त उदाहरण होना चाहिए जहां सार्वजनिक हित को निजी हित पर सर्वोपरि होना चाहिए-एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 के तहत विचार की गई प्रक्रिया के लिए एल. ए. ए. के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए

भूमि की खरीद का काफी हद तक अनुपालन किया गया था-प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलार्थियों की भूमि के अधिग्रहण का निर्देश देने के लिए एम. एम. सी. अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का वैध रूप से प्रयोग किया।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 एम. एम. सी. अधिनियम के तहत, एक नई सार्वजनिक सड़क बनाने की शक्ति धारा 291 से प्राप्त होती है। एक बनाने के लिए अधिनियम की धारा 296 आयुक्त को एस. एस. में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार देती है। 90-92 . इन प्रावधानों और एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 37 के बीच कुछ हद तक ओवरलैप है।

जबकि एम. एम. सी. अधिनियम मुंबई नगर निगम के संचालन के तरीके को नियंत्रित करता है। केवल इसलिए कि दोनों कानून भूमि अधिग्रहण से संबंधित हैं, आवश्यक रूप से उनके बीच संघर्ष का परिणाम नहीं हो सकता है। [पारस 23-24] [1064-C-D, E-F] 1.2 एक क़ानून के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ या व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि वे दूसरे क़ानून के प्रावधानों को अनावश्यक बना दें। न्यायालय का प्रयास हमेशा सामंजस्यपूर्ण रूप से ऐसे प्रावधानों का निर्माण करना होगा ताकि विधायी डी. आर.

मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

दोनों कानूनों में अंतर्निहित इरादे को पूरा किया जा सकता है। जब विधायिका जानबूझकर दो कानूनों को काम करने की अनुमति देती है। समान स्थान पर, यह एक उचित धारणा है कि विधायी अभिकल्पना दोनों के लिए बिना किसी प्रबल प्रभाव के सक्रिय रहने के लिए होती। न्यायालय दो कानूनों को एक दूसरे के साथ सीधे टकराव से दूर रखेगा, भले ही उनके संचालन के क्षेत्र मोटे तौर पर समान हों। [पारस 26 और 29] [1065-ए; 1067-सी]

1.3 एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत या अन्यथा बाहरी कानूनों या वैकल्पिक योजनाओं/योजनाओं को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

डी. पी. या एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत नियोजित विकास का समग्र उद्देश्य। चूंकि डी. पी. एम. आर. टी. पी. अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्राथमिक साधन है, इसलिए एम. आर. टी. पी. के साथ की गई कोई भी हिंसा आवश्यक रूप से बाद वाले को प्रभावित करेगी। इसके विपरीत, यदि पूर्व छोड़ दिया जाता है अनिवार्य रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम की भावना और योजना का सम्मान नहीं किया गया है। द.

या तो एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत प्रक्रिया का पालन करना, या आह्वान करना एस. एस. के तहत प्रदान की गई समानांतर प्रक्रिया। 91 , 291 (क) और एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 296। [पैरा 43] [1071-ई]

2.1 अदालत को इस तर्क में भी योग्यता नहीं मिलती है कि प्रतिवादी संख्या 2 का एम. एम. सी. अधिनियम का सहारा लेना एक

शक्ति का रंगीन अभ्यास। एक बार जब हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि विचाराधीन दो कानून, एम. आर. टी. पी. अधिनियम और एम. एम. सी. अधिनियम, केवल आकस्मिक ओवरलैप के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद हैं, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा शक्ति के रंगीन प्रयोग की संभावना दूर हो जाती है। एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91,291 (ए) और 296 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है।

क्योंकि एस के तहत डी. पी. के संशोधन पर आपत्ति करने का अधिकार मौजूद है।

37 एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा स्वचालित रूप से इसे उस पदानुक्रम में एक आरोही स्थिति नहीं देती है जिसे अपीलार्थी एम. आर. टी. पी. अधिनियम और एम. एम. सी. अधिनियम के बीच बनाना चाहते हैं। यह विधायिका पर निर्भर है कि

विवेकाधिकार की राशि निर्धारित करें जो संबंधित को दी गई है

प्रत्येक कानून के तहत प्राधिकरण। [पारस 44,45 और 47] [1071-एफ; 1072 ए-बी। ई]

2.2 एम. एम. सी. अधिनियम और एल. ए. ए. के करीब से पढ़ने से पता चलता है

कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं और मामले के तथ्यों में, अपीलार्थियों को उनकी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्ति करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। आपत्तियों की सुनवाई के लिए तंत्र एल. ए. ए. की धारा 5 ए के तहत प्रदान किया गया है। न केवल राज्य सरकार करती है। पहले धारा 91 के तहत आवेदन का मूल्यांकन करें, लेकिन एल. ए. ए. की धारा 5 ए भूमि मालिकों को स्वयं अपने आवेदन को प्रसारित करने की अनुमति भी देती है।

अब तर्क देते हैं कि उनके साथ कार्यवाही में अनुचित व्यवहार किया गया था एलएए। [पारस 48,50,51 और 57] [1072-एफ-जी; 1073-बी, एच; 1077-बी]

3.1 प्रक्रियात्मक नियमों को किसी कानून के मूल उद्देश्य को विफल करने या न्याय की खोज में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि प्रक्रिया का उल्लंघन अपने आप में गंभीर अन्याय के बराबर होगा।

इस धारणा का कड़ाई से पालन कि आयुक्त धारा 91 के तहत वास्तव में आवेदन भेजने वाला एकमात्र अधिकारी हो सकता है, सभी परिदृश्यों में आवश्यक नहीं हो सकता है। [पारस 64 और 70] [1078-एफ; 1081-ए-बी]

3.2 दोनों परिदृश्यों में परिणाम, क्या

आयुक्त या प्रावधान के तहत कुछ अन्य आधिकारिक कार्य, यह होंगे कि एल. ए. ए. के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जाए। अपीलार्थियों के किसी भी अधिकार को निरस्त नहीं किया गया है धारा 91 के तहत आवेदन करने वाले मुख्य अभियंता। एस. एस. का विधायी आशय। 126 और 127 जो 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' की राज्य की शक्ति को संतुलित करने के लिए था। [पारस 71 और 73] [1081-सी-डी; 1083-एफ]

3.3 धारा 91 प्रत्यर्थी पर वैधानिक उत्तरदायित्व अधिरोपित करती है।

नं. 3, आयुक्त, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए। आयुक्त को अपने दिमाग को लागू करना चाहिए और एक सचेत डॉ. लेना चाहिए।

मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

एल. ए. ए. के तहत शुरू की जा रही अधिग्रहण कार्यवाही के पक्ष में निर्णय। एक बार जब आयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति का पक्षकार हो जाता है और समिति द्वारा यह संकल्प लिया जाता है कि एक नई सार्वजनिक सड़क बनाई जानी चाहिए और एल. ए. ए. के साथ पठित एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 के तहत इस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, तो यह अब परिणामी नहीं है कि कौन सा प्राधिकरण इस निर्णय को बताता है। द.

यह निष्कर्ष निकालना कि निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है इस आधार पर सड़क को अमान्य नहीं किया जा सकता है। [पैरा 78] [1085-एफ-जी]

3.4 न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने और पुष्टि करने के लिए इच्छुक है कि धारा 91 का इस हद तक पर्याप्त अनुपालन किया गया है कि यह

प्रावधान के पीछे के उद्देश्य को प्राप्त करता है। निस्संदेह, भूमि की खरीद के लिए धारा 91 के तहत प्रक्रिया शुरू की जाए या नहीं, इस पर विचार-विमर्श में प्रतिवादी संख्या 3 एक प्रतिभागी रहा होगा। अंतिम आवेदन उनसे और बाकी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया गया था। यह सुनिश्चित करने के प्रावधान के पीछे का उद्देश्य कि नगर निगम में सर्वोच्च श्रेणी का अधिकारी निजी है और इसके लिए उत्तरदायी है अधिग्रहण की कार्यवाही उसकी भागीदारी से प्राप्त की जाती है और कार्रवाई पर हस्ताक्षर किया जाता है, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से आवेदन भेजता हो। इसलिए अदालत का मानना है कि एक बार प्रस्ताव को आयुक्त द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, अंतिम आवेदन पर उनसे औपचारिक हस्ताक्षर की कमी एक गंभीर दोष नहीं है और इसके बाद की पूरी प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता है। अदालत इस बात से संतुष्ट है कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 में काफी हद तक

इस मामले में अनुपालन किया। [पारस 80,81,84 और 85] [1086-एफ-जी; 1087-ए; 1088-ई-एफ] 3.5 एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 में राज्य सरकार के आदेश का कोई संकेत नहीं है। भूमि अधिग्रहण करने के लिए है

एक विशिष्ट रूप में माना जाता है। अदालत को कोई झिझक नहीं है

इस आवश्यकता के लिए एक व्यावहारिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना। यह तथ्य कि एल. ए. ए. के तहत सभी कदम उठाए गए थे, इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि प्रतिवादी संख्या 1 के शामिल होने और प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यों को मंजूरी देने के संबंध में धारा 91 की भावना और योजना का पालन किया गया है। 10 & 11. प्रावधान का पर्याप्त अनुपालन किया गया है और इसके अंतर्निहित उद्देश्य का सम्मान किया गया है। [पारस 87,88 और 89] [1089-बी-सी, ई-एफ] [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.1 कानून के शासन द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक समाज में, एक व्यक्ति के अधिकारों का बहुत महत्व है और वे हैं -

महाकाली गुफाओं से केंद्रीय एम. आई. डी. सी. तक के मार्ग पर यातायात की भीड़ के कारण यह आवश्यकता पैदा हुई है। [पारस 90,91 और 95] [1089-एच; 1090-ए-बी; 1091-ई] 4.2 अदालत ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने एम. एम. सी. अधिनियम के तहत अधिग्रहण का निर्देश देने के लिए अपनी शक्तियों का वैध रूप से प्रयोग किया

अपीलार्थियों की भूमि। अदालत की राय में, दोनों कानून कुछ हद तक ओवरलैप के साथ-साथ मौजूद हैं। एम. एम. सी. अधिनियम के तहत शक्तियां उन मामलों में भी बरकरार रहती हैं जहां वे एक ऐसे विषय को शामिल करते हैं जो एम. आर. टी. पी. अधिनियम में भी प्रदान किया गया है। कार्यवाही शुरू करने के लिए एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 के तहत विचार की गई प्रक्रिया

भूमि की खरीद के लिए एल. ए. ए. के तहत काफी हद तक अनुपालन किया गया था। अपीलार्थियों द्वारा निर्भर प्रावधान का एक हिस्सा प्रकृति में निर्देशिका है और इसके लिए सख्त अनुपालन के बजाय पर्याप्त अनुपालन की आवश्यकता होती है। यह न्यायालय वर्तमान अपील को इस रूप में खारिज करता है कि

योग्यता से रहित। [पारस 100,101 और 103] [1093-बी-डी, एफ]

गिरनार ट्रेडर्स बनाम। महाराष्ट्र राज्य [2007] 7 एससीसी

555 [2007] 9 एससीआर 383-प्रतिष्ठित।

गिरनार ट्रेडर्स बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। [2011] 3 एससीसी 1: [2011] 3 एस. सी. आर. 1; मनोहर जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। [2012] 3 एस. सी. सी. 619; प्रमुख खान और अन्य के निरीक्षक। वी. लाला करम चंद थापर और अन्य [1962] 1 एससीआर 9; अनवर हसन खान बनाम। मोहम्मद. शफी [2001] 8 एस. सी. सी. 540; सोनापुर टी कंपनी लिमिटेड बनाम। जरूर करना चाहिए।

माजिरुन्नेसा [1962] 1 एससीआर 724; ओल्गा टेलिस और ओआरएस। वी. बॉम्बे नगर निगम और अन्य। [1985] 3 एससीसी डी. आर.

मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

भारत और ओआरएस। [1993] 1 एससीसी 78: 1992 [3] पूरक। एससीआर 12; संग्राम सिंह बनाम। चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा और

अन्न [1955] 2 एस. सी. आर. 1; घनश्याम दास बनाम। का प्रभुत्व

भारत [1984] 3 एससीसी 46: [1984] 3 एससीआर 229; सुगंधी

वी. पी. राजकुमार [2020] 10 एससीसी 706; यू. पी. राज्य और ओआरएस। वी. बाबू राम उपाध्याय [1961] 2 एससीआर 679; आरक्षित

बैंक ऑफ इंडिया बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड

निवेश कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [1987] 1 एस. सी. सी. 424: [1987]

2 एस. सी. आर. 1; एस. गोपाल रेड्डी बनाम एपी राज्य [1996] 4 एससीसी 596 : [1996] 3 पूरक। एस. सी. आर. 439; शरीफ-उद-दीन बनाम। अब्दुल

गनी लोन [1980] 1 एस. सी. सी. 403; हरकचंद मिसिरीमल

सोलंकी और ओआरएस। वी. कलेक्टर और ओआरएस 2008 एससीसी

ऑनलाइन बॉम 1067; मणिमेगलाई बनाम। विशेष तहसीलदार

[2018] 13 एससीसी 491; बी. पी. शर्मा बनाम भारत संघ और

अन्य [2003] 7 एस. सी. सी. 309; बिहार लोक सेवा आयोग

वी. सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी और अन्न [2012] 13 एससीसी

61 ; रामिलिला मैदान घटना बनाम। गृह सचिव, संघ भारत और अन्य का [2012] 5 एस. सी. सी. 1; के. टी. प्लांटेशन प्रा.

लिमिटेड और ओआरएस। वी. कर्नाटक राज्य [2011] 9 एससीसी 1 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 3 एससीआर 1

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

[2007] 9 एससीआर 383

प्रतिष्ठित

पैरा 17

[1962] 1 एस. सी. आर 9

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

[1962] 1 एससीआर 724

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[1992] 3 पूरक। एससीआर 12

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[1985] 2 पूरक। एससीआर 51

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[1955] 2 एससीआर 1

पैरा 65

संदर्भित किया गया है

[1984] 3 एससीआर 229

पैरा 66

संदर्भित किया गया है

[1961] 2 एससीआर 679

पैरा 68

संदर्भित किया गया है

[1987] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 76

[1996] 3 पूरक। एससीआर 439

संदर्भित किया गया है

[2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5929

2022 तक।

2002 की रिट याचिका संख्या 3060 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 30.05.2022 से। श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वी. गिरि, जोनाथन सोलोमन, विकास मेहता, तपन मस्ता, रजत सहगल, सुश्री सोनिया पुट्टा, आदित्य गुप्ता, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

गिरीश गोडबोले, शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीमती बी. सुनीता राव, गुनमाया एस. मान, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, फराह

हाशमी, डॉ. प्रशांत प्रताप, कुमार मिताक्षरा, सुनील मुरारका, पंकज अग्रवाल, राजेश कुमार, सिद्धांत सहाय, एस. सी. धर्माधिकारी, अनिरुद्ध जोशी, शशिभूषण पी. अदगांवकर, ओमकार जे. देशपांडे, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे,

1. छुट्टी मंजूर की गई।

2. यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों की रिट याचिका को खारिज करते हुए पारित दिनांक 30.05.2022 के फैसले से उत्पन्न होती है।

जिसे उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित प्रस्तावों की एक श्रृंखला को रद्द करने की मांग की थी, साथ ही अधिसूचनाएं और अंतिम पुरस्कार प्रत्यर्थी सं. द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ("एल. ए. ए".) के तहत मुआवजा। 10 & 11 , जिसके परिणामस्वरूप एक नई सड़क के निर्माण के लिए अपीलार्थियों की संपत्ति के कुछ हिस्सों का अधिग्रहण किया गया।

ए. तथ्य

3. वर्तमान विवाद की उत्पत्ति और पाठ्यक्रम कई दशकों तक फैला हुआ है और इसमें इस न्यायालय के समक्ष मुकदमे का एक पूर्व दौर शामिल है। मामले का सार अपीलार्थियों द्वारा विरोध से उत्पन्न होता है

मुंबई नगर निगम के प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उनकी संपत्ति के माध्यम से सड़क का निर्माण। विचाराधीन संपत्ति का अधिग्रहण 1959 में अपीलार्थियों द्वारा किया गया था और 1965 में इस पर "आई. एन. जी. ए. भवन" के रूप में जानी जाने वाली एक इमारत का निर्माण किया गया था।

4. अपीलार्थियों की भूमि के माध्यम से सड़क होने की संभावना शुरू में 1976 की विकास योजना ("डी. पी".) में बताई गई थी। इसके बाद, सुचारू मार्ग को सुरक्षित करने के लिए 1984 में सड़क को फिर से बनाया गया था।

अपीलार्थियों की भूमि। अपीलकर्ताओं ने 1992 और डी. आर. में इस संबंध में आपत्तियां उठाई थीं।

मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

नियोजित सड़क को उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.11.1992 के माध्यम से DP से हटा दिया गया था।

5. इस अवधि के दौरान, आसपास के क्षेत्रों के निवासियों से कथित तौर पर सड़क की आवश्यकता के बारे में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुईं।

महाकाली गुफाओं को केंद्रीय औद्योगिक जिले से जोड़ने का आदेश। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम, 1966 ("एम. आर. टी. पी. अधिनियम") की धारा 37 (1) के तहत 07.06.1993 पर एक निर्देश जारी किया, जिसमें एक जोड़ने वाली सड़क की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कहा गया कि अपीलार्थियों की भूमि के माध्यम से 18.30 मीटर सड़क के निर्माण को आगे बढ़ाना "संभव नहीं" था। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 को डी. पी. में मामूली संशोधनों के साथ सड़क स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले परियोजना के कानूनी और तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण करने का निर्देश दिया गया था। एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 37 के तहत।

6. इस बीच, अपीलकर्ताओं ने 1994 में अपनी जमीन पर एक बंगले का निर्माण पूरा किया। हालाँकि, बाद के प्रतिबंधों की मांग की गई

आगे की इमारतों के लिए अपीलकर्ताओं को नगर निगम द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि संपत्ति के माध्यम से एक लिंक सड़क बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

7. उत्तरदाता संख्या 2 ने अंततः संकल्प संख्या 651 पारित किया

10.09.1996 जिसने अपीलार्थियों की भूमि के माध्यम से लिंक रोड का निर्माण करने के प्रस्ताव को नवीनीकृत किया। इसके बाद दो और प्रस्ताव पारित किए गएः क) सुधार समिति द्वारा लिंक रोड के प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए संकल्प संख्या 39 दिनांक 18.08.1998; ख) संकल्प सं. 536 08.12.1998 धारा के अधीन प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा। 126 एम. आर. टी. पी. अधिनियम और अनु. 90 (1) & (3) नई सड़क लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम ("एम. एम. सी. अधिनियम")।

8. मुख्य अभियंता (विकास योजना) के कार्यालय ने 05.02.1999 पर उत्तरदाता संख्या 1 को एक आवेदन भेजा जिसमें आरंभ करने की मांग की गई थी।

एल. ए. ए. के अधीन कार्यवाही। अपीलकर्ताओं ने राज्य के अधिकारियों के समक्ष विरोध दर्ज कराया और दावा किया कि लिंक रोड के लिए आयाम और मार्ग उन इमारतों को छूएंगे जो उनके द्वारा बनाई गई थीं। इन निरंतर विवादों को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 ने अंततः 09.03.2001 पर प्रस्ताव संख्या 1167 पारित किया, जिसमें उल्लेख किया गया कि तीन अन्य सड़क लाइनें थीं जो महाकाली गुफाओं को केंद्रीय MIDC से जोड़ती थीं। नतीजतन, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलार्थियों की संपत्ति के माध्यम से एक अतिरिक्त सड़क अनावश्यक थी।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. निजी उत्तरदाता, सं। 6-9 , 2001 के डब्ल्यू. पी. सं. 1072 में उच्च न्यायालय के समक्ष इस निर्णय को चुनौती दी गई। जबकि यह लंबित था, प्रत्यर्थी

सं. 2 ने प्रस्ताव सं. 1167 पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव रखा। अपीलकर्ताओं ने पहले से ही लंबित डब्ल्यू. पी. में प्रस्ताव की सूचना दायर की, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को अपनी भूमि के माध्यम से एक लिंक रोड बनाने के लिए एक बार फिर प्रस्ताव पेश करने से रोकने की मांग की गई। इस सूचना को उच्च न्यायालय ने 18.10.2002 पर प्रत्यर्थी संख्या 2 को 09.03.2001 पर किए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया था, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि इसके बाद पारित कोई भी नया प्रस्ताव न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही प्रभावी होगा।

पहले का प्रस्ताव 08.12.1998 पर पारित किया गया था। इसका शुद्ध परिणाम यह हुआ कि 18.30 मीटर नई सड़क लाइन के निर्माण के लिए अपीलार्थियों की भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई थी। अपीलकर्ताओं ने 2002 की रिट याचिका संख्या 3060 दायर की जिसमें लिंक रोड के निर्माण की योजना के नवीनीकरण को चुनौती दी गई और तीन प्रस्तावों को रद्द करने की मांग की गईः क) 10.09.1996 पर सं. 651; ख) 08.12.1998 पर संख्या 536; ग) 28.10.2002 पर सं. 1117। 11. इस बीच, उच्च न्यायालय ने 2001 के डब्ल्यू. पी. सं. 1072 का इस टिप्पणी के साथ निपटारा किया कि संकल्प सं. 1117 के पारित होने के बाद,

विचाराधीन डब्ल्यू. पी. निष्फल हो गया था और प्रस्ताव की वैधता और वैधता का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में किया जाएगा।

12. अपीलार्थियों के डब्ल्यू. पी. के लंबित रहने के दौरान, और 05.02.1999 के आवेदन के अनुसार, एल. ए. ए. के तहत अधिग्रहण अभ्यास था

गति दें। प्रत्यर्थी संख्या 10 और 11 ने एल. ए. ए. की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना जारी की जिसमें निर्देश दिया गया कि अपीलार्थियों की भूमि का अधिग्रहण जनहित में किया जाए। धारा 11 के तहत मुआवजे का पुरस्कार 26.11.2007 पर घोषित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं ने धारा के तहत अधिसूचना को चुनौती दी। 6 और लंबित रिट याचिका में उनकी प्रार्थना में मुआवजे का पुरस्कार।

13. संपत्ति के संबंध में यथास्थिति के लिए अपीलकर्ताओं की अंतरिम प्रार्थना को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और इस इनकार से व्यथित होकर, वे

2008 का एस. एल. पी. (सिविल) सं. 22849 स्थापित किया गया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 22.09.2008 पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। एसएलपी एक दशक से अधिक समय तक लंबित रही जब तक कि इसे डी. आर. पर अंतिम निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय के अनुरोध के साथ 05.12.2019 के आदेश के माध्यम से निपटाया नहीं गया।

मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

बात है। यथास्थिति के आदेश को उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले तक बढ़ा दिया गया था।

14. उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ताओं ने पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर मोटे तौर पर तीन आधारों पर हमला कियाः क) एम. आर. टी. पी. अधिनियम का गठन किया गया

नगर नियोजन और विकास के उद्देश्य के लिए एक पूर्ण संहिता, और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 2 एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत अनुमोदित डी. पी. को दरकिनार करने के लिए एम. एम. सी. अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं ले सका। इसके बजाय, उत्तरदाता संख्या 1 से अनुमति लेना अनिवार्य था। एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 37 के तहत डी. पी. में मामूली संशोधन करना; ख) तर्क में, भूमि अधिग्रहण के लिए एम. एम. सी. अधिनियम के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 में प्रतिवादी संख्या 3 को धारा 291 के तहत एक नई सड़क बनाने के लिए धारा 296 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, इस मामले में, मुख्य अभियंता का कार्यालय प्राधिकरण था जिसने पहला कदम उठाया जो एक लाइलाज दोष था। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई प्राधिकरण नहीं दिया गया था, जैसा कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 के तहत आवश्यक था। ग) अपीलार्थियों को अपनी भूमि के माध्यम से संपर्क सड़क बनाने की प्रतिवादी संख्या 2 की योजना के संबंध में अपनी शिकायतों को व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था।

15. अपीलार्थियों की रिट याचिका को अंततः विवादित फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था जिसमें उच्च न्यायालय ने याचिका को रद्द करने से इनकार कर दिया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित विभिन्न प्रस्ताव, और एल. ए. ए. के तहत मुआवजे की अधिसूचना और पुरस्कार। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने जनहित में लिंक रोड के निर्माण के लिए अपीलार्थियों की भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता की पुष्टि की।

16. डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया किः -

(i)

इसके माध्यम से नई सड़क एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91,291 (ए) और 296 के अनुसार ली गई थी। एम. एम. सी. अधिनियम ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को भूमि अधिग्रहण करने और एक नई सड़क बनाने की शक्ति प्रदान की, जिसके लिए न तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। , न ही सड़क को डी. पी. में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए; एम. एम. सी. अधिनियम और एम. आर. टी. पी. अधिनियम अलग हैं, और शक्तियाँ

(ख)

पूर्व के अधीन प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिया गया

केवल इसलिए कि यह एक बाद का क़ानून था, बाद वाले द्वारा निहित रूप से निरस्त किया जाए। बल्कि, वे साथ-साथ [2022] 19 एस. सी. आर. के साथ मौजूद होंगे।

और उन क्षेत्रों में एक दूसरे का पूरक बनें जहां शक्तियों का अतिव्याप्त था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 2 के पास था

हालांकि यह सच था कि 1992 में हटाए जाने के बाद लिंक रोड को डी. पी. में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यह प्रतिवादी को नहीं रोक पाया। नंबर 2 एम. एम. सी. अधिनियम के तहत कार्य करने से। एम. आर. टी. पी. अधिनियम वृहत स्तर पर विकास योजनाओं के निर्माण से संबंधित था, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 एम. एम. सी. अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र था ताकि सूक्ष्म विवरणों को स्पष्ट किया जा सके और उन्हें आगे बढ़ाया जा सके।

ऐसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए काम करना, जैसे कि लिंक रोड का निर्माण;

सेक. 37 एम. आर. टी. पी. अधिनियम जो एक कठोर प्रक्रिया निर्धारित करता है

डी. पी. में मामूली समायोजन करना प्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एम. एम. सी. अधिनियम के तहत कार्य किया था और भूमि अधिग्रहण और सड़क की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए एम. आर. टी. पी. अधिनियम नहीं;

एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 के तहत आवश्यकताओं का पालन किया गया था। भले ही प्रतिवादी संख्या 3 के बजाय मुख्य अभियंता के कार्यालय ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए प्रतिवादी संख्या 10 को पत्र भेजा था, लेकिन यह केवल एक मामूली दोष था कि प्रक्रिया को अमान्य नहीं करेगा;

उत्तरदाता संख्या 1 ने उठाए गए कदमों को स्वीकार कर लिया था

उत्तरदाता सं। 2 & 3 प्रत्यर्थी संख्या के माध्यम से एल. ए. ए. के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करके अपीलार्थियों की भूमि का अधिग्रहण करना। 10 & 11 , जिससे पता चलता है कि

लिंक रोड के लिए संपत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता के साथ सहमति थी;

महाकाली गुफाओं से मध्य तक कनेक्टर की कमी के कारण क्षेत्र में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सड़क के निर्माण की स्पष्ट और तत्काल आवश्यकता थी

एमआईडीसी। इस प्रकार, जनहित को अपीलार्थियों के निजी हितों से ऊपर उठना होगा।

इस संदर्भ में कि अपीलकर्ताओं ने समय के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी.

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

B. प्रस्तुतियाँ

17. श्री श्याम दीवान और श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील

दंडयात्रियों ने हमला करते हुए निम्नलिखित विवाद उठाए हैं

जी. एन. डी. फैसलाः -

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत डी. पी. प्रमुखता का स्थान रखता है।

(i)

जब सड़क स्वयं डी. पी. में प्रतिबिंबित नहीं होती है तो प्रतिवादी संख्या 2 के लिए सड़क के निर्माण का प्रस्ताव करने में अपनी पहल पर कार्य करना संभव नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पहले ही 12.11.1992 पर एक अधिसूचना के माध्यम से समग्र डी. पी. से सड़क को हटाकर इस मामले पर अपनी राय स्पष्ट कर दी थी, और तब सुझाव दिया था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 एम. आर. टी. पी. की धारा 37 के तहत अपने निर्देश में इस मुद्दे की फिर से जांच करे।

अधिनियम, दिनांक 07.06.1993;

एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 31 पूरी प्रक्रिया प्रदान करती है -

(ख)

जिसे एक डी. पी. को अंतिम रूप दिया जाता है और मंजूरी दी जाती है। धारा 31 के तहत समग्र योजना में आम जनता के साथ एक परामर्श प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है जिसके तहत आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित किया जाता है और उन पर विचार किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एम. एम. सी. अधिनियम के तहत एक प्रस्ताव के माध्यम से योजना के पहलुओं पर आपत्ति जताने के लिए धारा 31 के तहत दिए गए अधिकार को छीन लिया है;

iii)

उच्च न्यायालय का निर्णय एक अधीनस्थ प्राधिकरण को अनुमति देता है,

नगर निगम, राज्य सरकार के डी. पी. को नष्ट करने के लिए। यह एम. आर. टी. पी. अधिनियम के जनादेश के लिए हिंसा का कारण बनेगा;

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के बीच स्थापित पदानुक्रम को देखते हुए

(iv)

और एम. एम. सी. अधिनियम, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उत्तरार्द्ध के प्रावधानों का उपयोग वह करने के लिए किया जाता है जो पूर्व के तहत नहीं किया जा सकता है,

केवल शक्ति का एक रंगीन अभ्यास;

एम. आर. टी. पी. अधिनियम एक पूर्ण संहिता है जो प्रत्येक के लिए प्रावधान करता है।

v)

भूमि का अधिग्रहण करना और इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए करना जो डी. पी. में स्पष्ट रूप से स्वीकृत नहीं है, अवैध है। रिलायंस को रखा गया है गिरनार ट्रेडर्स बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (" गिरनार ट्रेडर्स 2011 ") 1 और मनोहर जोशी बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र & Ors.²

) 3 एससीसी 1.

:) 3 एससीसी 619।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नगर निगम को डी. पी. के बाहर कार्य करने की अनुमति देना।

vi)

यह एक अराजक स्थिति पैदा करेगा और संबंधित नगर निगम कानून के तहत शक्तियों के बेलगाम उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। इस तरह का विवेकाधिकार किसी नगर निगम को संबंधित डी. पी. के दायरे से बाहर काम करने के लिए नहीं दिया जा सकता है।

एम. एम. सी. अधिनियम के तहत भी, प्रत्यर्थी की आवश्यकता

vii)

धारा 91 के तहत प्रक्रिया शुरू करने वाली संख्या 3 पूरी नहीं हुई है। धारा 91 के तहत प्रदान की गई न्यूनतम सुरक्षा स्वयं नगर निगम आयुक्त के लिए है कि वह कम से कम प्रस्ताव पर अपना दिमाग लगाए और फिर राज्य सरकार को आवेदन करे। धारा 91 के तहत। ये मामूली दोष नहीं हैं, बल्कि एम. एम. सी. अधिनियम के तहत बुनियादी सुरक्षा हैं और इन्हें सख्ती से समझा जाना चाहिए। गिरनार ट्रेडर्स बनाम में निर्णय। महाराष्ट्र राज्य ("गिरनार व्यापारी")

2007 ") 3 इस संबंध में उद्धृत किया गया है;

viii) उपरोक्त दोष के बावजूद, धारा 91

एम. एम. सी. अधिनियम में राज्य सरकार की आवश्यकता है। , भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, एल. ए. ए. के तहत कार्यवाही शुरू करने को अधिकृत करने के लिए। ऐसा नहीं है।

इस मामले में प्राधिकरण दिया गया है और डी. पी. किसी भी मामले में सड़क के लिए प्रावधान नहीं करता है।

प्रस्ताव सं. 1167 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि

ix)

सड़क निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए प्रतीत होती थी,

उत्तरदाता सं। 4-9 , और यह किसी भी स्पष्ट सार्वजनिक हित के लिए नहीं था।

18. विवादित फैसले के समर्थन में तर्क देते हुए, विद्वान वकील रीश गोडबोले, प्रतिवादी संख्या की ओर से पेश हुए। 2 & 3 , विद्वान वरिष्ठ अधिकारी, श्री शेखर नाफडे, प्रतिवादी संख्या की ओर से उपस्थित हुए। 6-9 ,

विद्वान अधिवक्ता श्री एस. सी. धर्माधिकारी,

शून्य संख्या। 4 & 5 , निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं:

(i)

लिंक रोड के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त की गई थी

तीन संकल्पः i) 10.09.1996 पर संख्या 651; ii) 18.08.1998 पर सुधार समिति द्वारा संकल्प संख्या 39; iii) 08.12.1998 का संकल्प संख्या 536 जो एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 126 के तहत एक समग्र संकल्प था, और धारा

7 एससीसी 555।

मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी.

टी. ई. महाराष्ट्र और ओ. आर. एस. [सूर्या कान्ट, जे,]

टंकण संबंधी त्रुटि; अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 से आवश्यक प्राधिकरण के संदर्भ में, की धारा 4 और 6

एल. ए. ए. प्रदान करता है कि राज्य सरकार। वह पक्ष है जो अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू करता है और फिर घोषणा करता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि के एक हिस्से की आवश्यकता होती है। इसलिए, एल. ए. ए. के तहत बाद में उठाए गए कदम दर्शाते हैं कि राज्य सरकार। अपीलार्थियों की भूमि की खरीद की आवश्यकता पर नगर निगम के साथ समझौता किया गया था;

एम. एम. सी. की धारा 91 का पालन किया गया है। तथ्य यह है कि मुख्य अभियंता के कार्यालय ने आगे भेजा

राज्य सरकार को आवेदन। यह महत्वहीन है क्योंकि कार्रवाई एक औपचारिकता है। आयुक्त उस मंत्रिस्तरीय समिति का हिस्सा थे जहाँ अपीलार्थियों की भूमि के संबंध में निर्णय लिया जाता था। आवेदन लिया गया था और आयुक्त सहित समिति की मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही आवेदन किया गया था;

एम. एम. सी. अधिनियम और एम. आर. टी. पी. अधिनियम पूरी तरह से काम करते हैं।

एल. ए. ए. के तहत वैधानिक तंत्र के माध्यम से मुआवजा प्राप्त होगा। इसके अलावा, प्रस्तावित सड़क के लिए योजना प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा, भूमि पर निर्मित भवनों को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए, अपीलार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह पैदा नहीं होता है;

दिनांकित 07.06.1993 निर्देश को एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 37 के तहत आने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार। केवल यह सुझाव दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इस पर पुनर्विचार किया

प्रस्तावित लिंक रोड के तकनीकी और कानूनी पहलू जिसके बाद आगे कोई कदम नहीं उठाया गया। कोई स्पष्ट संशोधन करने का निर्देश नहीं दिया गया था, और यह केवल डी. पी. के संशोधन और विचार की प्रक्रिया का हिस्सा था।

vii) अपीलार्थियों का आचरण और जिस तरह से उनके पास था

एक की अवज्ञा में निर्मित भूमि पर इमारतें

राज्य के अधिकारियों को दिया गया वचन, उन्हें न्यायसंगत आधार पर किसी भी राहत के लिए अयोग्य घोषित करता है। इसके अलावा, उनके

नेक इरादे से;

लिंक रोड जनहित में है और इस पर विचार किया जा रहा है

viii)

निजी हित पर हावी होना चाहिए।

19. विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री दीवान ने अपने प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं के मुद्दों का जवाब देते हुए निम्नलिखित मुद्दे उठाए:

08.12.1998 का संकल्प धारा 90 के तहत था

(i)

एम. एम. सी. अधिनियम जो सहमति से अधिग्रहण के लिए है। वहाँ था।

न तो अधिग्रहण के लिए सहमति और न ही एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 के तहत कोई अलग प्रस्ताव जो प्रत्यर्थियों द्वारा पारित किया गया था। भले ही श्री गोडबोले द्वारा यह निवेदन कि यह अनिवार्य रूप से धारा 91 के तहत एक प्रस्ताव था, स्वीकार किया जाना है, 09.03.2001 का बाद का संकल्प संख्या 1167, और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांकित 14.03.2001 पत्र, स्पष्ट रूप से

यह उल्लेख किया कि अपीलार्थियों की संपत्ति के माध्यम से सड़क बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, यह किसी भी कथित निर्णय को रद्द कर देता है जो धारा 91 के तहत लिया गया हो सकता है। संकल्प दिनांकित 08.12.1998।

न्यायसंगत पर राहत के लिए अयोग्यता के बारे में तर्क

(ख)

आधार निराधार है, क्योंकि यह नगर निगम है जिसने बार-बार आवश्यकता पर अपना रुख बदला है

लिंक रोड;

व्यारावली ग्राम विकास द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र

iii)

एसोसिएशन। उत्तरदाता सं. द्वारा दायर डब्ल्यू. पी. में उच्च न्यायालय के समक्ष। 6-9 , यह दर्शाता है कि लिंक रोड के निर्माण के मुद्दे पर दिमाग का स्पष्ट अनुप्रयोग था। प्रस्ताव संख्या 1167 इन विचार-विमर्शों का परिणाम था। इस प्रकार, उनके खिलाफ हेरफेर और दुर्भावना का कोई दावा नहीं किया जा सकता है

अपीलार्थी।

(iv)

प्रस्तुतियों पर अपना गंभीर ध्यान केंद्रित करने के बाद दोनों पक्षों द्वारा आगे बढ़ाया गया, और रिकॉर्ड को पढ़ने के बाद, अब हम उन मुद्दों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं जो उठाए गए हैं।

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी.

महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [सूर्या कान्ट, जे 2]

सी. विश्लेषण

सी. 1. एम. आर. टी. पी. अधिनियम और एम. एम. सी. अधिनियम के बीच परस्पर क्रिया

20. कारीगरों द्वारा उठाए गए तर्कों से जो प्राथमिक मुद्दा उभरता है, वह एम. आर. टी. पी. अधिनियम और आई. एम. सी. अधिनियम के बीच बातचीत के संबंध में है। विशेष रूप से, अपीलकर्ताओं का मानना है कि डी. पी. में संशोधन के लिए एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रक्रिया ही एकमात्र तरीका है

एच. आई. सी. निर्माण जो डी. पी. के भीतर प्रदान नहीं किया गया है समान रूप से अधिकृत हों।

21. एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 37 (प्रासंगिक भाग) निर्धारित करती है कि

पंखों की प्रक्रियाः

37. अंतिम विकास योजना में संशोधन

(1) जहाँ किसी अंतिम विकास योजना के किसी भाग में या उसमें किए गए किसी प्रस्ताव में कोई संशोधन किया जाता है, वहाँ योजना प्राधिकरण, या जब राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाता है, तो सरकारी राजपत्र में [और इस तरह के अन्य तरीके से जो उसके द्वारा निर्धारित किया जाए] आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित कर सकता है।

प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी भी व्यक्ति से

इस तरह की सूचना की तारीख से एक महीने के बाद नहीं; और प्रस्तावित सूचना से प्रभावित सभी व्यक्तियों को भी सूचना दी जाएगी।

संशोधन और ऐसे किसी भी व्यक्ति को सुनवाई देने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर मंजूरी के लिए प्रस्तावित संशोधन (संशोधन, यदि कोई हो, के साथ) राज्य सरकार को प्रस्तुत करें। यदि ऐसा संशोधन प्रस्ताव ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो संशोधन का प्रस्ताव माना जाएगा। खोने के लिएः

बशर्ते कि इस तरह की चूक योजना को बाधित नहीं करेगी

एक नया प्रस्ताव बनाने से प्राधिकरण।]

[(1ए) यदि योजना प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सूचना जारी करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकार सूचना जारी करेगी, और उस पर उप-धारा (1) के प्रावधान लागू होंगे जैसा कि वे लागू होने वाले सूचना के संबंध में लागू होते हैं।

एक योजना प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित।]

[(1ए. ए.) (ए) उप-धाराओं में कुछ भी निहित होने के बावजूद

(1) , (1 ए) और (2), जहां राज्य सरकार संतुष्ट है [2022] 19 एस. सी. आर.

कि लोक हित में ऐसी प्रकृति की अंतिम विकास योजना के किसी भाग या उसमें किए गए किसी प्रस्ताव में तत्काल संशोधन करना आवश्यक है कि वह ऐसी विकास योजना के स्वरूप को न बदले, राज्य सरकार अपने दम पर राजपत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सकती है, और

प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए, ऐसी सूचना की तारीख से एक महीने के बाद और सभी व्यक्तियों को नोटिस भी देगा।

प्रस्तावित संशोधन और योजना से प्रभावित

प्राधिकरण।

(ख) राज्य सरकार, निर्दिष्ट अवधि के बाद, ऐसी सभी आपत्तियों और सुझावों की एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगी।

योजना प्राधिकरण सरकार को अपनी बात के लिए

ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से एक महीने की अवधि

सरकार की आपत्तियाँ और सुझाव।

(ग) राज्य सरकार, सुनवाई के बाद प्रभावित व्यक्तियों और योजना प्राधिकरण और ऐसी जांच करने के बाद जो वह आवश्यक समझे और उनसे परामर्श करने के बाद

नगर योजना निदेशक, आधिकारिक अधिसूचना द्वारा

राजपत्र, परिवर्तनों के साथ या बिना अनुमोदित संशोधनों को प्रकाशित करें, और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उचित समझे, या

इस तरह के संशोधन को लागू नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं। जिस पर

सरकारी राजपत्र में संशोधन का प्रकाशन,

अंतिम विकास योजना को संशोधित माना जाएगा।

तदनुसार]।

22. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं ने धाराओं के तहत नगर निगम में निहित शक्ति बनाने का प्रयास किया है। 91 (क), और एम. एम. सी. अधिनियम की 296, [आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 37 से अप्रभावित हैं। तीन प्रावधानों की व्याख्या में वर्तमान मामले की व्याख्या शामिल है और उन्हें नीचे (प्रासंगिक भाग) पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

91. प्रक्रिया जब अचल संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है

सहमति से। (1) जब भी आयुक्त अंतिम पूर्ववर्ती धारा के तहत किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने में असमर्थ होता है

समझौता [[राज्य] सरकार], अपने विवेकानुसार, आयुक्त के आवेदन पर, डी. आर. के साथ किया जा सकता है।

मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी.

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

[सुधार समिति] का अनुमोदन [और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन] निगम की ओर से अधिग्रहण के लिए कार्यवाही करने का आदेश देता है, जैसे कि ऐसी संपत्ति भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1870 के अर्थ के भीतर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि हो। * *

(2) मुआवजे की राशि और अन्य सभी

ऐसी किसी संपत्ति के अधिग्रहण में उपगत प्रभार, इस अधिनियम के अन्य सभी प्रावधानों के अधीन रहते हुए, आयुक्त द्वारा तुरंत भुगतान किया जाएगा और उस पर उक्त संपत्ति निगम में निहित होगी।

-एक्स

-एक्स

291. नई सार्वजनिक सड़कें बनाने की शक्ति

आयुक्त, जब निगम द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया जाता है, तो वह किसी भी समय ऐसा कर सकता है

(क) एक नई सार्वजनिक सड़क बनाएँ और बनाएँ;

(ख) ऐसे व्यक्ति की भूमि के माध्यम से सार्वजनिक उपयोग के लिए सड़क बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ सहमत हों, या तो पूरी तरह से ऐसे व्यक्ति के खर्च पर या आंशिक रूप से ऐसे व्यक्ति के खर्च पर और आंशिक रूप से निगम के खर्च पर, और यह कि ऐसी सड़क पूरी होने पर एक सार्वजनिक सड़क बन जाएगी;

[(ग) सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1898 या सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ट्रांसफर एक्ट, 1925 के प्रावधानों के अनुसरण में विधिवत निष्पादित सुधार योजना के तहत बनाई गई किसी भी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित करें।

एक्स

-एक्स

सड़क (1) आयुक्त धारा 90,91 और 92 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए

(क) किसी भी सार्वजनिक सड़क को खोलने, चौड़ा करने, विस्तार करने या अन्यथा सुधार करने या किसी भी नई सार्वजनिक सड़क और भवनों को बनाने के उद्देश्य से आवश्यक किसी भी भूमि का अधिग्रहण, यदि कोई हो।

ऐसी भूमि पर खड़ा होना;

(ख) उक्त भूमि और भवनों के अतिरिक्त अधिग्रहण, यदि - यदि [2022] 19 एस. सी. आर.

कोई भी, जो उस पर खड़ा है, जैसा कि निगम के लिए नियमित रेखा के बाहर अधिग्रहण करना समीचीन लगेगा, या

ऐसी सड़क की नियत नियमित लाइन;
(ग) किसी भी भूमि या भवन को पट्टे पर देना, बेचना या अन्यथा निपटाना।

खंड (बी) के तहत खरीदा गया।

(2) खंड (ग) के तहत भूमि या भवन के किसी भी हस्तांतरण में ऐसी शर्तें शामिल हो सकती हैं जो आयुक्त सोचता है।

मौजूदा भवन को हटाने के संबंध में, बनाए जाने वाले नए भवन का विवरण, वह अवधि जिसके भीतर ऐसा नया भवन पूरा किया जाएगा और ऐसे अन्य मामले।

23. एम. सी. सी. अधिनियम के तहत, एक नई सार्वजनिक सड़क बनाने की शक्ति धारा 291 से प्राप्त होती है। एक नई सड़क बनाने के उद्देश्य से, अधिनियम की धारा 296 आयुक्त को धारा 90-92 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार देती है। हमारे उद्देश्यों के लिए, धारा 91 अपीलार्थियों के बाद से परिणामी प्रावधान है।

स्पष्ट रूप से, भूमि का अधिग्रहण समझौते द्वारा नहीं किया जा सकता था और उसमें प्रदान की गई प्रक्रिया की शर्तों के तहत इसे खरीदा जाना था।

24. बिछाने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण की पूरी योजना

धारा 91,291 (ए) और 296 की रूपरेखा के भीतर एक नई सड़क लाइन प्रदान की गई है। निस्संदेह इन प्रावधानों और एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 37 के बीच कुछ हद तक अंतर है क्योंकि वे खरीद से संबंधित हैं।

भूमि से। हालांकि, बाद वाला एक डी. पी. के संदर्भ में प्रासंगिक है जबकि एम. सी. सी. अधिनियम मुंबई नगर निगम के संचालन के तरीके को नियंत्रित करता है।

निगम काम करता है। इसके अलावा, केवल इसलिए कि दोनों कानून भूमि अधिग्रहण से संबंधित हैं, आवश्यक रूप से उनके बीच संघर्ष का परिणाम नहीं हो सकता है।

25. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने आग्रह किया कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम और एम. एम. सी. अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत कार्रवाई केवल तभी की जा सके जब उनके लिए मंजूरी और अनुमोदन एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत प्राप्त किया गया हो। हालांकि यह सच है कि दोनों कानूनों में संबंधित प्रावधान सार्वजनिक हित में भूमि की खरीद के तरीके से संबंधित हैं, लेकिन उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से उन्हें एक दूसरे के अधीन बनाता है। नंगे पढ़ने से पता चलता है कि वे विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं जो हमेशा सह-निर्भर नहीं हो सकते हैं। अपीलार्थियों की व्याख्या उस शक्ति को कम करने के बराबर है जो प्रतिवादी संख्या 2 अन्यथा करने में सक्षम होता

एम. एम. सी. अधिनियम के तहत अभ्यास, एम. आर. टी. पी. अधिनियम की रूपरेखा के बाहर।

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

26. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक क़ानून के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ या व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि वे

एक अन्य कानून में प्रावधान। न्यायालय का प्रयास हमेशा ऐसे प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण रूप से निर्माण करना होगा ताकि दोनों कानूनों में अंतर्निहित विधायी उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

27. खानों और अन्य के मुख्य निरीक्षक में। वी. लाला करम चंद थापर और अदालत ने दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के माध्यम से खान अधिनियम, 1923 और सामान्य खंड अधिनियम के बीच एक प्रतीत होने वाले विरोधाभास को सुलझा लिया थाः

" 13. यदि एस के शब्द। 31 (4) इसका अर्थ यह समझा जाता है कि विनियम इस हद तक अधिनियम का हिस्सा बन गए हैं कि जब अधिनियम निरस्त हो जाता है, तो विनियम भी निरस्त हो जाते हैं, दोनों के बीच तुरंत टकराव पैदा हो जाता है। 31 (4) और एस के प्रावधान। 24 सामान्य खंड अधिनियम। दूसरे शब्दों में, खान अधिनियम, 1923, एस में कहते हुए। 31 (4) एस के प्रावधानों में कहा जाएगा कि अधिनियम के निरसन के परिणामस्वरूप विनियमों का निरसन होगा। 24 सामान्य खंड अधिनियम, जैसा कि इसमें पढ़ा गया है, कि अधिनियम के निरसन पर, जब अधिनियम निरस्त और पुनः अधिनियमित किया जाता है, विनियम निरस्त नहीं होंगे, लेकिन तब तक लागू रहेंगे जब तक कि पुनः अधिनियमित अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। इस संघर्ष को हल करने के लिए अदालतों को सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू करना चाहिए। इसलिए हमें कुछ की तलाश करनी होगी

दोनों प्रावधानों को सुसंगत बनाने के अन्य साधन। द.

सामंजस्य स्थापित करने का उचित तरीका जो स्पष्ट रूप से खुद का सुझाव देता है, वह है s का अर्थ लगाना। 31 (4) इसका अर्थ यह है कि प्रकाशन पर विनियमों के कुछ उद्देश्य होंगे, उदाहरण के लिए, विनियमों की वैधता तय करने का उद्देश्य,

समान प्रभाव जैसे कि वे अधिनियम का हिस्सा थे, लेकिन अस्तित्व की निरंतरता के उद्देश्य से, उन्हें अधिनियम का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ताकि अधिनियम के निरस्त होने के बावजूद, विनियमों का अस्तित्व बना रहे।

एस के प्रावधान। 24 सामान्य खंड अधिनियम। यह

निर्माण एस को उचित प्रभाव देगा। 31 (4) खान अधिनियम, 1923 और साथ ही साथ एस के बहुत ही हितकारी उद्देश्य को विफल नहीं करता है। 24 सामान्य खंड अधिनियम। कोई रुक सकता है

यहाँ यह याद रखने के लिए कि एक अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के नियम बनाए जाते हैं

4 (1962) 1 एस. सी. आर 9.

अधिनियम के सफल संचालन के लिए। उचित के बिना

नियम, एक क़ानून अक्सर बेकार से भी बदतर होगा। जब कोई अधिनियम निरस्त किया जाता है, लेकिन फिर से अधिनियमित किया जाता है, तो यह लगभग अपरिहार्य है कि फिर से अधिनियमित क़ानून के बीच कुछ समय का अंतराल होगा।

पुनः अधिनियमित कानून। यद्यपि नियम बनाना कुशल है प्राधिकरण के बीच कुछ अंतराल से बचना असंभव हो सकता है

पुनः अधिनियमित कानून का लागू होना और पुराने अधिनियम का एक साथ निरसन और

नियम। अक्सर, समय अंतराल काफी होगा। क्या यह कल्पना की जा सकती है कि कोई भी विधानमंडल, अपने क़ानून के तहत बनाए गए विनियमों का प्रावधान करने में, इस तरह प्रभावी होगा जैसे कि अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो, उन शब्दों से यह कहने का इरादा रख सकता था कि यदि कभी भी अधिनियम को निरस्त किया जाता है और फिर से अधिनियमित किया जाता है (जैसा कि जल्द या बाद में होने की संभावना से अधिक है), तो विनियमों का पुनः अधिनियमित क़ानून के उद्देश्य के लिए कोई अस्तित्व नहीं होगा, और इस प्रकार फिर से अधिनियमित क़ानून, कम से कम कुछ समय के लिए, कई मायनों में होगाः

एक मृत पत्र। जवाब नकारात्मक होना चाहिए। जो भी हो।

वह उद्देश्य जिसने मसौदा तैयार करने वालों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया

नियमों और विनियमों के संबंध में विधायी रूप कि वे प्रभावी होंगे "जैसे कि अधिनियम में अधिनियमित", यह अजीब होगा।

वास्तव में यदि उपयोग की गई भाषा का परिणाम यह है कि अधिनियम का हिस्सा बनने से वे निरस्त हो जाएंगे, जब अधिनियम निरस्त हो जाएगा। कोई निश्चित हो सकता है कि यह नहीं हो सकता था

विधायिका की मंशा। यह संतोषजनक है कि उपयोग किए गए शब्द उस परिणाम को उत्पन्न नहीं करते हैं। क्योंकि, यदि हम सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो एस।

31 (4) एस के संचालन के रास्ते में खड़ा नहीं होता है। 24 सामान्य खंड अधिनियम "।

28. एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण लेने की प्रधानता की पुष्टि की गई थी

युद्ध हसन खान बनाम। मोहम्मद. शफी 'भीः

" 8. यह तय किया जाता है कि किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करने के लिए

एक अधिनियम, कानून में उपयोग किए गए शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ के महत्व और प्रभाव को पाठ, विषय वस्तु की प्रकृति और कानून के उद्देश्य और इरादे से एकत्र किया जाना चाहिए। यह एक क़ानून के निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है।

कि इसके प्रावधानों को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए

1) 8 एससीसी 540।

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

संघर्ष से बचना और सामंजस्यपूर्ण निर्माण अपनाना।

इसके तहत बनाए गए क़ानून या नियमों को इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए -

संपूर्ण और एक प्रावधान का अर्थ संदर्भ के साथ लगाया जाना चाहिए।

प्रावधान के अनुरूप बनाने के लिए अन्य प्रावधान के लिए उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई। का प्रसिद्ध सिद्धांत

सामंजस्यपूर्ण संरचना यह है कि सभी को प्रभाव दिया जाना चाहिए

प्रावधान और एक निर्माण जो एक को कम करता है

एक "मृत पत्र" के प्रावधान सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है। "

29. जब विधायिका जानबूझकर दो कानूनों को एक ही स्थान पर काम करने की अनुमति देती है, तो यह एक उचित धारणा है कि

डिजाइन दोनों के लिए किसी भी ओवरराइडिंग प्रभाव के बिना सक्रिय रहने के लिए होता, सिवाय और जब एक विपरीत इरादे को स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय दो कानूनों को एक दूसरे के साथ सीधे टकराव से दूर रखेगा, भले ही उनके संचालन के क्षेत्र व्यापक रूप से हों।

समान।

30. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने कहा है कि

गिरनार ट्रेडर्स 2011 में इस न्यायालय के फैसलों और अपीलार्थियों के तर्क को आगे बढ़ाने के लिए मनोहर जोशी पर पर्याप्त निर्भरता। गिरनार ट्रेडर्स 2011 में विचाराधीन मुद्दा यह था कि क्या एल. ए. ए. की धारा 11 ए 6 को भूमि अधिग्रहण के लिए एम. आर. टी. पी. अधिनियम की योजना में पढ़ा जा सकता है। एल. ए. ए. की धारा 11 ए ने दो साल की अवधि प्रदान की, जिसके भीतर अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने वाले व्यक्तियों को धारा 11 के तहत एक पुरस्कार दिया जाना था। ऐसा करने में विफल रहने पर पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 31. इसी संदर्भ में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है। इसने विस्तार से बताया कि एल. ए. ए. के कुछ प्रावधानों के केवल संदर्भ के परिणामस्वरूप नहीं होगा

उक्त कानून की पूरी योजना का एम. आर. टी. पी. अधिनियम में आयात। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

6 11 ए. अवधि वह होगी जिसके भीतर एक पुरस्कार दिया जाएगा। - कलेक्टर घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर धारा 11 के तहत एक पुरस्कार देगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगीः

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां उक्त घोषणा भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 68) के प्रारंभ से पहले प्रकाशित की गई है, पुरस्कार ऐसे प्रारंभ से दो साल की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा में निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली किसी कार्रवाई या कार्यवाही पर न्यायालय के आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है, को बाहर रखा जाएगा।] [2022] 19 एस. सी. आर.

" 84. एम. आर. टी. पी. अधिनियम अपने आप में एक संहिता होने के अलावा एक है

पूर्व-प्रमुख उद्देश्य, अर्थात, नियोजित विकास। अन्य

मामले आकस्मिक हैं और इसलिए, इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए - उस पूर्व-प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करें। के सभी प्रावधान

भूमि अधिग्रहण अधिनियम एम. आर. टी. पी. अधिनियम पर लागू नहीं किया जा सकता है।

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना होगा

उनका अपना क्षेत्र। जहाँ तक तैयारी से संबंधित प्रावधानों की बात है,

विकास योजनाओं का अनुमोदन और निष्पादन संबंधित, राज्य अधिनियम की शायद ही कोई निर्भरता है

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधान। यह आवश्यक हो सकता है,

कभी-कभी, भूमि का अधिग्रहण करने के लिए जो मुख्य रूप से के लिए होगा

योजनाबद्ध विकास का उद्देश्य जैसा कि इसके तहत विचार किया गया है

एमआरटीपी अधिनियम। राज्य अधिनियम के कुछ प्रावधान हैं - भूमि के कुछ प्रावधानों को विशेष रूप से संदर्भित किया गया है

अधिग्रहण अधिनियम लेकिन भूमि अधिग्रहण के सीमित उद्देश्य के लिए।

इस प्रकार, इस तरह के संदर्भ का उद्देश्य, स्पष्ट रूप से, सहायता लेना है

केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों का केवल उद्देश्य के लिए

केंद्रीय अधिनियम के किसी भी प्रावधान को बाधित करने से या राज्य अधिनियम के मुख्य उद्देश्य में बाधा डालना, अर्थात

नियोजित विकास।

(लागू किया गया जोर)

32. निर्विवाद रूप से, संविधान पीठ का उद्देश्य था

एल. ए. ए. के तहत स्थितियों के हस्तांतरण के खिलाफ सुरक्षा

एम. आर. टी. पी. अधिनियम ऐसा होने देने से एम. आर. टी. पी. अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने का कार्य और अधिक कठिन हो जाता। उस मामले में अदालत के लिए महत्वपूर्ण कारक यह था कि

वह एल. ए. ए. को एम. आर. टी. पी. अधिनियम के प्राथमिक लक्ष्यों को "बाधित या बाधित" करने की अनुमति नहीं दे सकता था।

33. इसी तरह की चिंता पर इस न्यायालय द्वारा विचार-विमर्श किया गया था

मनोहर जोशी (सुप्रा)। उस मामले में न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 597 के तहत एक डी. पी. और एक पूर्ववर्ती नगर योजना योजना के बीच उत्पन्न संघर्ष से निपट रहा था। डी. पी. ने क्षेत्र आरक्षित किया

759. नगर नियोजन योजनाएँ बनाना।

[(1)] इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए

बल

(क) एक योजना प्राधिकरण प्रस्तावों को लागू करने के उद्देश्य से

अंतिम विकास योजना 4 [या किसी ऐसी भूमि के संबंध में जिसके विकास के क्रम में होने की संभावना है या जिस पर पहले से ही निर्माण किया जा चुका है], उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर के क्षेत्र के लिए या उसके किसी भी हिस्से के लिए एक या अधिक नगर योजना योजनाएं तैयार करें।

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

यह एक प्राथमिक विद्यालय के निर्माण के लिए विचाराधीन था जबकि नगर योजना योजना ने इसे एक आवासीय क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया था।

34. धारा 398 के तहत स्पष्ट प्रावधान पर ध्यान देते हुए कि

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नगर नियोजन योजना डी. पी. के अधीन होगी और इसे डी. पी. के अनुरूप लाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगाः

" 84. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 39 विशेष रूप से निर्देश देती है कि -

योजना प्राधिकरण टी. पी. योजना में इस हद तक बदलाव करेगा कि अंतिम विकास में किए गए प्रस्तावों द्वारा आवश्यक

योजना, और धारा 59 (1) (ए) टीपी योजना का उद्देश्य बताती है

अर्थात्। कि यह में निहित प्रस्तावों को लागू करने के लिए है

अंतिम विकास योजना। अधिनियम की धारा 31 (6) के तहत, ए

योजना प्राधिकरण पर। योजना प्राधिकरण कार्रवाई नहीं कर सकता है डी. पी. योजना के विपरीत और विकास की अनुमति देने के लिए

डी. पी. योजना के प्रावधान को विफल करना। इसके अलावा, यह नहीं हो सकता है

इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया कि प्रत्येक योजना प्राधिकरण पर एक कर्तव्य डाला गया है विशेष रूप से अधिनियम की धारा 42 के तहत यथासंभव कदम उठाने के लिए

निर्दिष्ट योजना के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक होना अधिनियम के अध्याय III में, अर्थात्, विकास योजना। "

(लागू किया गया जोर)

35. इन निर्णयों की बारीकी से जांच करने पर, हम यह देखने में विफल रहते हैं

वे अपीलार्थियों के मामले में कैसे सहायता करते हैं। दोनों ही मामलों में, चिंता एम. आर. टी. पी. अधिनियम (गिरनार ट्रेडर्स 2011) की योजना में एल. ए. ए. की धारा 11 ए के आयात या डी. पी. और नगर नियोजन योजना (मनोहर जोशी) के बीच संघर्ष के कारण डी. पी. की हताशा के बारे में थी। इनमें से कोई भी घटना उत्पन्न नहीं हुई है

वर्तमान मामला।

36. इसके अलावा भी, वह सिद्धांत जिस पर यह न्यायालय

ऊपर उल्लिखित मामलों में आगे की कार्रवाई यह है कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत या अन्यथा बाहरी कानूनों या वैकल्पिक योजनाओं/योजनाओं को डी. पी. या इसके तहत नियोजित विकास के समग्र उद्देश्य को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 8 39. विकास योजना द्वारा नगर नियोजन योजना में परिवर्तन। जहां किसी अंतिम विकास योजना में ऐसे प्रस्ताव शामिल हैं जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नगर योजना योजना में किए गए प्रस्तावों में परिवर्तन या संशोधन कर रहे हैं, योजना प्राधिकरण ऐसी योजना को धारा 92 के तहत उपयुक्त रूप से अंतिम विकास योजना में किए गए प्रस्तावों द्वारा आवश्यक सीमा तक परिवर्तित करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. आर. टी. पी. अधिनियम चूंकि डी. पी. उद्देश्य को प्राप्त करने का प्राथमिक साधन है। एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अनुसार, पहले वाले के साथ की गई कोई भी हिंसा अनिवार्य रूप से बाद वाले को प्रभावित करेगी। इसके विपरीत, यदि पहले वाले को अनिवार्य रूप से अबाधित छोड़ दिया जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम की भावना और योजना का सम्मान नहीं किया गया है।

37. वर्तमान मामले में लिंक रोड का निर्माण किसी भी तरह से डी. पी. को हतोत्साहित नहीं करता है या क़ानून के समग्र उद्देश्य को विफल नहीं करता है।

कनेक्टर के निर्माण की प्रेरणा यात्रियों को लंबा समय लेने की आवश्यकता के कारण क्षेत्र में यातायात की भीड़ को कम करना है।

अपीलार्थियों की संपत्ति की सीमाओं के आसपास चक्कर लगाना। यह केवल उन उदाहरणों में है जहां डी. पी. की आवश्यकता को निरस्त किया जा रहा है कि एक संघर्ष उत्पन्न होता है और गिरनार ट्रेडर्स 2011 (सुप्रा) और मनोहर जोशी (सुप्रा) में टिप्पणियां प्रासंगिक हो जाती हैं।

38. इसके अलावा, मनोहर जोशी (सुप्रा) में लिए गए निर्णय में नगर नियोजन योजना के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।

उस मामले में प्रभावी होने के लिए, और वर्तमान उदाहरण में प्रस्तावित लिंक रोड। एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 39 के तहत, नगर नियोजन योजना को स्पष्ट रूप से डी. पी. के अधीन कर दिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या की शक्तियों को कम करने के लिए एम. आर. टी. पी. अधिनियम या एम. एम. सी. अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं रखा गया है। 2 & 3 धारा 91,291 (ए) और 296 के तहत

एमएमसी अधिनियम।

39. वास्तव में, एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 61 (एम) ओ के तहत यह आदेश दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए कोई भी कानूनी उपाय करना संभव है।

सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, रखरखाव, परिवर्तन और सुधार। इस प्रावधान का शब्दांकन अनिवार्य है, इसके विपरीत की धारा 6310

एम. एम. सी. अधिनियम जो नगर निगम को उसके तहत सूचीबद्ध विषयों के लिए व्यवस्था करने का विवेकाधिकार देता है, यदि वह चाहे।

(एम) सार्वजनिक सड़कों, पुलों, पुलियों, पुलियों और इस तरह के अन्य मार्गों का निर्माण, रखरखाव, परिवर्तन और सुधार [और सड़कों पर वाहनों और पैदल चलने वालों के सुरक्षित और व्यवस्थित मार्ग के लिए अन्य उपाय भी]; 10 0 63. ऐसे मामले जो निगम द्वारा अपने विवेक पर प्रदान किए जा सकते हैं। निगम, अपने विवेकाधिकार पर, समय-समय पर, निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए, पूर्ण या आंशिक रूप से, प्रावधान कर सकता है, अर्थात्:

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

40. इसलिए, इस न्यायालय को धारा 61 के तहत अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 में निहित शक्तियों को अनुचित रूप से समाप्त नहीं करना चाहिए। यह विशेष रूप से ऐसे मामले में सच है जहां एम. आर. टी. पी. अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाइयों से अप्रभावित रहता है।

निगम।

41. इस पृष्ठभूमि में, हम विद्वान वकील, श्री गोडबोले के तर्क में महत्वपूर्ण योग्यता पाते हैं, कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम और एम. एम. सी. अधिनियम में मौजूद हैं।

बिना किसी पूर्वकल्पित पदानुक्रम के अलग-अलग क्षेत्र। हो सकता है ऐसे उदाहरण जहां ओवरलैप होता है, जैसे कि जब एक नगरपालिका क्षेत्र के लिए एक डी. पी. तैयार किया जाता है जहां नगर निगम भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। हालाँकि, ऐसे परिदृश्य में भी दोनों क़ानून साथ-साथ मौजूद होंगे और एक-दूसरे के पूरक होंगे।

42. इसका अपवाद, मनोहर जोशी (सुप्रा) से उधार लेने के लिए, नगर निगम या किसी अन्य द्वारा की गई कार्रवाई होगी।

अन्य बाहरी प्राधिकरण "डी. पी. योजना के प्रावधान को विफल करते हैं"। ऐसी स्थिति में एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत डी. पी. में संशोधन की मांग करना उचित कदम होगा। 43. इन कारणों से, हम अपीलार्थियों के इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि एकमात्र साधन जिसके द्वारा उनकी संपत्ति के माध्यम से लिंक रोड हो सकता है।

डी. पी. में एक संशोधन के माध्यम से निर्माण किया गया है

44. इस तरह से अभिनिर्धारित करने के बाद, हम इस तर्क में भी योग्यता नहीं पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 का एम. एम. सी. अधिनियम का सहारा लेना एक रंगीन तर्क है। शक्ति का प्रयोग। सोनापुर टी कंपनी लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय। जरूर करना चाहिए। मजिरुन्नेसा 1 1 ने शक्तियों के रंगीन प्रयोग को इस प्रकार वर्णित किया थाः

" 9 ..... रंगीन विधान का सिद्धांत वास्तव में यह मानता है कि विधान अप्रत्यक्ष रूप से वह करने का प्रयास करता है जो वह सीधे नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, हालांकि कानून का पत्र विधानमंडल की शक्तियों की सीमाओं के भीतर है, लेकिन सार में कानून के पास है

उन शक्तियों का उल्लंघन किया और ऐसा करके उसने अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाने की सावधानी बरती है

जाहिरा तौर पर वैध और उचित प्रावधान "।

11 (1962) 1 एससीआर 724।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. एक बार जब हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि विचाराधीन दो कानून, एम. आर. टी. पी. अधिनियम और एम. एम. सी. अधिनियम, केवल अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद हैं। आनुषंगिक ओवरलैप, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा शक्ति के एक रंगीन प्रयोग की संभावना दूर हो जाती है। जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91,291 (ए) और 296 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है, जो धारा 61 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 की जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने में हैं। इसका एकमात्र अपवाद उन मामलों में होगा जहां डी. पी. के प्रावधान को ही निरस्त किया जा रहा है।

46. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दीवान ने एम. आर. टी. पी. अधिनियम की तुलना में एम. एम. सी. अधिनियम के तहत उचित सुरक्षा उपायों की कमी के बारे में भी एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने आग्रह किया कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 37 के तहत डी. पी. में संशोधन के लिए इच्छुक पक्षों द्वारा आपत्ति करने के अधिकार का अस्तित्व उनके इस तर्क का समर्थन कर रहा है कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम एक पूर्ण संहिता है और इसका उद्देश्य नियोजित विकास के संबंध में पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करना है। उन्होंने तर्क दिया कि यह एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 के विपरीत है जिसमें नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पारित करने से पहले आपत्ति का कोई अधिकार नहीं है।

एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 37 के तहत मौजूद है जो इसे स्वचालित रूप से नहीं देता है। पदानुक्रम में एक आरोही स्थिति जिसे अपीलार्थी एम. आर. टी. पी. अधिनियम और एम. एम. सी. अधिनियम के बीच बनाना चाहते हैं। प्रत्येक कानून के तहत संबंधित अधिकारियों को दिए गए विवेकाधिकार की राशि निर्धारित करना विधायिका पर निर्भर करता है।

48. जबकि यह सच है कि इस न्यायालय ने पहले पढ़ा है

प्रभावित व्यक्तियों को कानूनों और प्रावधानों में सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता जो इसके लिए प्रावधान नहीं करते थे, ऐसा अधिकार आयोजित किया गया था

उन मामलों में भी निरपेक्ष नहीं होना। 12 1 2 हालाँकि, हमें जाने की भी आवश्यकता नहीं है अब तक। एम. एम. सी. अधिनियम और एल. ए. ए. को करीब से पढ़ने से पता चलता है कि

पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं और मामले के तथ्यों में, अपीलार्थियों को उनकी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्ति करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। 49. जब एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 के तहत आवेदन किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि अधिग्रहण के लिए तुरंत नोटिस जारी किया जाए। राज्य सरकार। पहले खुद को संतुष्ट करना होगा कि भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए

12 ओल्गा टेलिस और ओआरएस। वी. बॉम्बे नगर निगम और अन्य। (1985) 3 एससीसी 545; सी. बी. गौतम बनाम भारत संघ और अन्य। (1993) 1 एससीसी 78.

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

वास्तव में एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसके समक्ष प्रस्तुत आवेदन की जांच करनी चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि धारा 4 के तहत अधिसूचना के माध्यम से एल. ए. ए. के तहत प्रक्रिया शुरू करने से पहले विचाराधीन संपत्ति को सार्वजनिक हित में आरक्षण की आवश्यकता है।

50. इसके बाद, एल. ए. ए. के तहत आपत्तियों की सुनवाई के लिए एक तंत्र प्रदान किया जाता है। एल. ए. ए. की धारा 5 ए, जैसा कि प्रासंगिक समय पर थी, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

5 ए. आपत्तियों की सुनवाई। -

(1) धारा 4, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किसी भी भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए आवश्यक या आवश्यक होने की संभावना है, [अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर], भूमि या इलाके में किसी भी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति कर सकता है।

जैसा कि मामला हो सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आपत्ति कलेक्टर को लिखित रूप में दी जाएगी, और कलेक्टर आक्षेपकर्ता को देगा।

[व्यक्तिगत रूप से या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा] या अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अवसर और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, करने के बाद, [या तो उस भूमि के संबंध में एक रिपोर्ट बनाएगा जिसे धारा 4, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किया गया है, या इसके संबंध में अलग-अलग रिपोर्ट बनाएगा।

निर्णय के लिए आपत्तियों पर उनकी सिफारिशों के साथ, उनके द्वारा आयोजित कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ, ऐसी भूमि के विभिन्न भाग, उपयुक्त सरकार को

उस सरकार का]। [उपयुक्त का निर्णय]

आपत्तियों पर सरकार अंतिम होगी।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति को भूमि में रुचि रखने वाला माना जाएगा जो भूमि का दावा करने का हकदार होगा।

मुआवजे में ब्याज यदि इस अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था।]

51. इसके आलोक में, यह दावा कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 में दिए गए मार्ग के तहत पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं थे, ऐसा नहीं हो सकता है।

गौरवान्वित रहें। न केवल राज्य सरकार करती है। पहले धारा 91 के तहत आवेदन का मूल्यांकन करें, लेकिन एल. ए. ए. की धारा 5 ए भूमि मालिकों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने की भी अनुमति देती है।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. एल. ए. ए. की धारा 4 (1) 1313 के तहत नोटिस जारी किया गया था

लिंक रोड के निर्माण के लिए भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण और आपत्तियां दायर करने के लिए 15.04.2005 की समय सीमा निर्धारित करने के संबंध में विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ("SLAO") द्वारा 24.03.2005 पर अपीलकर्ता। अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अधिग्रहण का विरोध करते हुए 11.04.2005 पर जवाब दिया कि मामला 2002 के WP नंबर 3060 में उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था और 2001 के WP नंबर 1072 में पारित 18.10.2002 के आदेश में निर्देश दिया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिए बिना प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा किसी भी बाद के प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनकी आपत्तियों में कहा गया है:

10. हमारे ग्राहक लिखित में उल्लिखित कारणों से प्रस्तुत करते हैं

हमारे ग्राहकों की सी. टी. एस. वाली संपत्ति से भूमि का अधिग्रहण मुलगांव का Nos.23,24 और 26 किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं है।

और यह कानून के अनुसार नहीं है। का कोई भाग नहीं सी. टी. एस. Nos.23,24 और 26 वाले हमारे ग्राहकों की संपत्तियाँ

किसी भी निर्माण के लिए मुलगांव की आवश्यकता है या होने की संभावना है।

सार्वजनिक सड़क। प्रस्तावित अधिग्रहण के संदर्भ में है और

संपत्तियों के विकासकर्ताओं के निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए

हमारे ग्राहकों की संपत्तियों के पूर्व में झूठ बोलना और दुर्भावनापूर्ण है भूमि अधिग्रहण के तहत शक्तियों का रंगीन प्रयोग

अधिनियम, 1894 और मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888।

बिना सेवा के हमारे ग्राहकों की संपत्ति को अपूरणीय क्षति कोई भी सार्वजनिक उद्देश्य।

एक्स

-एक्स

-एक्स

12. इन परिस्थितियों में, हमारे ग्राहक प्रस्तावित पर आपत्ति करते हैं

इस आधार पर अधिग्रहण कि यह जानबूझकर किया गया है

अवज्ञा और 18 अक्टूबर, 2002 के आदेश का उल्लंघन

13 4. प्रारंभिक अधिसूचना और उस पर अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन।

(1) जब भी [उपयुक्त सरकार] को किसी भी इलाके में भूमि दिखाई देती है

[यदि किसी सार्वजनिक उद्देश्य [या किसी कंपनी के लिए] की आवश्यकता है या] की आवश्यकता होने की संभावना है, तो उस आशय की अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी [और उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगा], और कलेक्टर उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी अधिसूचना के सार के बारे में सार्वजनिक सूचना देगा [(ऐसे प्रकाशन की अंतिम तारीख और ऐसी सार्वजनिक सूचना देने की तारीख, जिसे इसके बाद अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भित किया जाता है)]।

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका संख्या 1072 में पारित

2001 और कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के बराबर है

बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष और बॉम्बे की अवमानना उच्च न्यायालय के साथ-साथ इस आधार पर भी कि इसके तहत नहीं है

उपयुक्त सरकार का अधिकार और इस आधार पर कि

यही दुर्भावनापूर्ण है और शक्तियों के रंगीन प्रयोग में और

जनहित में नहीं, बल्कि केवल पक्ष लेने और उदारता प्रदान करने के लिए

हमारे ग्राहक, हमारे ग्राहकों की संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश करके और अन्य कारण।

53. अभिलेखसँ ई प्रतीत होइत अछि जे अपीलकर्तासभ कतेको पत्र पठौलनि।

अगले महीनों में इस प्रभाव के लिए यह मांग की जाती है कि अधिग्रहण प्रक्रिया उनके 11.04.2005 के पत्र में बताए गए उपरोक्त आधारों पर बंद हो जाए। अपीलकर्ताओं ने अंततः प्रतिवादी संख्या के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। 2 , 3 और 10,18.10.2002 के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए। इस अवमानना याचिका को उच्च न्यायालय ने 18.08.2006 पर खारिज कर दिया था।

54. वास्तव में, धारा 11 के तहत मुआवजे का पुरस्कार

एल. ए. ए. 1 4 ने कई उदाहरणों पर दर्ज 26.11.2007 पर पारित किया कि कई सुनवाई तय की गई थी और इच्छुक पक्षों को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। एल. ए. ए. की धारा 5 के तहत जांच के संदर्भ में, पुरस्कार में कहा गया हैः

1 4 14 11. कलेक्टर द्वारा पूछताछ और पुरस्कार। - [(1)] इस प्रकार तय किए गए दिन या किसी अन्य दिन जिस दिन जांच स्थगित की गई है, कलेक्टर उस आपत्ति (यदि कोई हो) की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा जो किसी भी इच्छुक व्यक्ति ने धारा 9 के तहत दिए गए नोटिस के अनुसार कही है।

धारा 8 के तहत किए गए माप, और भूमि के मूल्य में [धारा 4, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख में], और मुआवजे का दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंधित हितों में और उसके हाथ में एक पुरस्कार करेगा

((i) भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल;

((ii) क्षतिपूर्ति जो उनकी राय में भूमि के लिए अनुमत की जानी चाहिए; और (iii) उक्त क्षतिपूर्ति का विभाजन उन सभी व्यक्तियों के बीच किया जाना चाहिए जो ज्ञात हैं या जिनके बारे में माना जाता है कि वे भूमि में रुचि रखते हैं, या जिनके दावों के बारे में उनके पास जानकारी है कि वे क्रमशः उनके सामने पेश हुए हैं या नहीं।

[बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत कलेक्टर द्वारा उपयुक्त सरकार या ऐसे अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा जिसे उपयुक्त सरकार इस संबंध में प्राधिकृत करेः बशर्ते कि यह उपयुक्त सरकार के लिए यह निर्देश देने के लिए सक्षम होगा कि कलेक्टर ऐसे मामलों के वर्ग में ऐसे अनुमोदन के बिना ऐसा पुरस्कार दे सकता है जो उपयुक्त सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेसर्स सोलोमन एंड द्वारा उठाई गई आपत्ति को देखने के बाद

कं. एड. ऊपर उल्लिखित और कानूनी सलाह डीटी। 10/5/05 M.C.G.M से पुनर्जीवित किया गया। : S.L.A.O. इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उसे माननीय के निर्णय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय, मुंबई रिट में। इच्छुक पक्षों द्वारा दायर याचिका No.3060/02 जैसा कि ऊपर उल्लिखित आपत्ति में कहा गया है और S.L.A.O. धारा के तहत कार्यवाही के साथ [आगे बढ़ने] का निर्णय लिया। 6

एल. ए. अधिनियम। सेक के तहत आवश्यक रूप से फॉर्म 'डी' में विस्तृत रिपोर्ट। 5 एल. ए. अधिनियम का ए और एस. के. के तहत अधिसूचना का मसौदा। 6 एल. ए. अधिनियम को अतिरिक्त आयुक्त को प्रस्तुत किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त के माध्यम से कोंकण प्रभाग। कलेक्टर एम. एस. डी. अनुभाग के तहत अधिसूचना के अनुमोदन और प्रकाशन के लिए 16/6/05 पर। 6 में

सरकारी राजपत्र और समाचार पत्र आदि।

55. पुरस्कार तब इस बात पर ध्यान देता है कि किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा भूमि पर स्वामित्व/अधिकार दिखाने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही एल. ए. ए. के तहत मुआवजे के लिए कोई दावा दायर किया गया थाः

ई. भूमि द्वारा दावे के समर्थन में प्रमाण

मालिकों

मालिकों या इच्छुक व्यक्तियों में से किसी ने भी मुआवजे के अपने दावे नहीं भरे हैं और न ही उन्होंने अधिग्रहण के तहत भूमि के स्वामित्व का कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया है। समय-समय पर सुनवाई तय करके और उन्हें सुन कर उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता था। अंत में पत्र डी. टी. 12/5/06 , 13/7/06 और उन्हें मुआवजे और स्वामित्व के दस्तावेजों के अपने दावों को दायर करने के लिए 20/3/07 जारी किया गया था। हालांकि, कोई भी मुआवजे या स्वामित्व के अपने दावे दायर करने के लिए आगे नहीं आया।

केवल एक श्री अब्राहम पट्टानी ने अपने वकील के माध्यम से हर बार उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए अपनी आपत्ति दर्ज की और अधिग्रहण की कार्यवाही पर रोक लगाने का प्रयास किया।

56. घटनाओं के इस क्रम से जो बात सामने आती है वह यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

उनकी आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। हालाँकि, अपीलार्थी इस आधार पर अधिग्रहण की कार्यवाही को रोकने के प्रयास में व्यस्त रहे कि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था और इस प्रकार, एल. ए. ए. के तहत आगे कोई कदम नहीं उठाया जा सका। कानूनी स्थिति की जांच करने के बाद, एस. एल. ए. ओ. ने उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया और एल. ए. ए. के तहत विभिन्न कदम उठाना

जारी रखा। इस दौरान कोई रोक नहीं लगाई गई थी, और अपीलार्थियों की अवमानना याचिका खारिज कर दी गई थी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

57. अपीलकर्ताओं ने अपने अधिकार के दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और न ही उन्होंने एल. ए. ए. के तहत मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने की मांग की। ए के रूप में परिणामस्वरूप, वे अब यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें अधिग्रहण प्रक्रिया के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। द.

अपीलार्थियों द्वारा अपने पद पर बने रहने का निर्णय

उच्च न्यायालय में उनके डब्ल्यू. पी. के लंबित होने के कारण अधिसूचना और पुरस्कार गैर-अनुमानित होने के कारण उन्हें अब यह तर्क देने का अधिकार नहीं हो सकता है कि एल. ए. ए. के तहत कार्यवाही में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया था।

58. यह सह के बारे में हमारे पहले के अवलोकन को भी मजबूत करता है।

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के साथ एम. एम. सी. अधिनियम का अस्तित्व। दलीलें

अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए मुद्दे हमें समझाने में विफल रहे हैं और हम दोनों कानूनों के बीच पदानुक्रम लागू करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। हम एक बार फिर उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त की गई स्थिति की पुष्टि करते हैं कि लिंक रोड के निर्माण के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अपीलार्थियों की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए एम. एम. सी. अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के लिए यह खुला था।

सी. 2. एम. एम. सी. अधिनियम के तहत प्रक्रिया का अनुपालन

60. शुरू करने के लिए, उन घटनाओं के क्रम को दोहराना आवश्यक है जिनके कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हुई। के लिए सीखा परामर्श नगर निगम और नगर आयुक्त श्री गोडबोले ने प्रस्तावों की प्रारंभिक तिकड़ी, सं. 651 , 39 & 536 , प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जो भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में गेंद को रोलिंग सेट करता है। संकल्प संख्या 536 एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 126 और एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 90 के तहत एक समग्र संकल्प था। उनके अनुसार, यह प्रभावी रूप से धारा 91 के तहत एक संकल्प था क्योंकि धारा 90 का संदर्भ केवल धारा 9015 के कारण एक टंकण संबंधी त्रुटि थी।

1 5 90। समझौते द्वारा अचल संपत्ति का अधिग्रहण। (1) जहां कहीं भी इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि आयुक्त इस अधिनियम के किसी भी उद्देश्य के लिए अधिग्रहण कर सकता है या जब भी यह आवश्यक या समीचीन हो कि आयुक्त किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण करेगा, तो ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण आयोग द्वारा किया जा सकता है।

निगम की ओर से आयुक्त समझौते 6 द्वारा [उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन]।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सहमति, एम. एम. सी. अधिनियम के तहत पहला विकल्प है। जब वह विफल हो गया,

एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 के तहत स्वाभाविक अगला कदम दूसरा विकल्प होगा।

61. इसके बाद मुख्य अभियंता के कार्यालय ने उत्तरदाता संख्या 1 को 05.02.1999 पर खरीद के लिए आवेदन किया था। अपीलार्थियों की भूमि। लिंक रोड प्रस्ताव को तब संकल्प संख्या 1167 के माध्यम से स्थगित कर दिया गया था, इससे पहले कि संकल्प संख्या 1117 दिनांक 28.10.2002 द्वारा एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जाए।

62. लिंक रोड प्रस्ताव के नवीनीकरण के बाद, धारा 91 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही फिर से शुरू की गई और

एल. ए. ए. के तहत आवश्यक कदम उसी के आधार पर उठाए गए थे 05.02.1999 का आवेदन जो मुख्य अभियंता के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह अंततः 26.11.2007 पर एल. ए. ए. की धारा 11 के तहत मुआवजे के पुरस्कार के पारित होने के साथ समाप्त हुआ।

63. इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने तर्क दिया है कि एम. सी. सी. अधिनियम की धारा 91 के तहत दो आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया हैः क) भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन मुख्य अभियंता (विकास) के कार्यालय से भेजा गया था।

योजना) और आयुक्त नहीं; ख) इस तरह के अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई प्राधिकरण या आदेश पारित नहीं किया गया था।

64. पहली प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, हम धारा 91 की स्पष्ट भाषा को स्वीकार करते हैं जो आयुक्त, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पर विचार करती है। हालाँकि, प्रक्रिया के ऐसे मामलों से निपटने के दौरान प्रक्रियात्मक कानूनों के न्याय की सहायक होने की पुरानी कहावत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अतीत में व्यापक रूप से दोहराया गया है, प्रक्रियात्मक नियमों को किसी क़ानून के मूल उद्देश्य को विफल करने या न्याय की खोज में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि प्रक्रिया का उल्लंघन स्वयं गंभीर अन्याय के बराबर न हो।

65. संग्राम सिंह बनाम। चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा और अन्र। 16

प्रक्रियात्मक नियमों के संदर्भ में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 16 ..... यह एक प्रक्रिया है, जिसे न्याय की सुविधा के लिए बनाया गया है।

और आगे इसके अंतः सजा और दंड के लिए एक दंडात्मक अधिनियम नहीं; लोगों को परेशान करने के लिए डिज़ाइन की गई चीज़ नहीं। बहुत तकनीकी खंडों का निर्माण जो कोई जगह नहीं छोड़ता है

16 (1955) 2 एससीआर 1.

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी.

महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस. [सूर्या कान्ट, जे,]

इसलिए व्याख्या की उचित लोच होनी चाहिए

दोनों के खिलाफ सुरक्षा (बशर्ते कि हमेशा दोनों के लिए न्याय किया जाए)

पक्ष) ऐसा न हो कि आगे बढ़ने के लिए डिज़ाइन किए गए साधन

न्याय का उपयोग इसे विफल करने के लिए किया जाए।

(लागू किया गया जोर)

66. इसी तरह, घनश्याम दास बनाम। डोमिनियन ऑफ इंडिया "द

"विशेषण कानून" के पीछे के बारे में बात करते समय विस्तार से बताया गया था

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत नोटिसः

" 12. अंतिम विश्लेषण में, सवाल यह है कि क्या

न्यायिक निर्माण। प्रिवी काउंसिल और इस न्यायालय ने से निपटने में सख्त अनुपालन का नियम लागू किया

नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति की पहचान का सवाल

आवश्यकता है कि कारण के बीच पहचान होनी चाहिए कार्रवाई और नोटिस में दावा की गई राहत के साथ-साथ

शिकायत करें। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, न्यायालय ने उस नोटिस को निम्नानुसार माना है -

इस धारा को पर्याप्त माना जाना चाहिए यदि यह

प्रकृति से संबंधित पक्षों को सूचित करने के अपने उद्देश्य को पूरा करता है

दायर किए जाने वाले मुकदमे का। इस सिद्धांत पर यह माना गया है कि यद्यपि धारा की शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए

के साथ, इसका मतलब यह नहीं है कि नोटिस की जांच की जानी चाहिए

पांडित्यपूर्ण तरीके से सामान्य ज्ञान से तलाक ले लिया। बिन्दु।

दावे की प्रकृति के बारे में जानकारी जैसे कि मुकदमे को टालने के लिए प्राप्तकर्ता "।

(लागू किया गया जोर)

67. उसी नस में, सुगंधी बनाम। पी. राजकुमार 1 8 को पदोन्नत किया गया

अच जिसका सामना करने पर पर्याप्त न्याय प्राप्त करने की मांग की गई

प्रक्रियात्मक कानून, विशेष रूप से जब दूसरे पक्ष को नुकसान नहीं हुआ

अज्ञेय पूर्वाग्रह। इस न्यायालय ने राय दीः

" 9.यह अक्सर कहा जाता है कि प्रक्रिया न्याय की दासी है।

प्रक्रियात्मक और तकनीकी बाधाओं को आने नहीं दिया जाएगा।

4) 3 एससीसी 46.0) 10 एससीसी 706।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पर्याप्त न्याय करते हुए न्यायालय के रास्ते में। अगर

प्रक्रियात्मक उल्लंघन गंभीर रूप से पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनता है

विरोधी पक्ष, अदालतों को पर्याप्त काम करने की ओर झुकना चाहिए

प्रक्रियात्मक और तकनीकी पर भरोसा करने के बजाय न्याय

उल्लंघन। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि मुकदमेबाजी कुछ भी नहीं है

लेकिन सच्चाई की ओर एक यात्रा जो न्याय की नींव है

और अदालत को पीटने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है हर विवाद में अंतर्निहित सच्चाई को उजागर करें।

(लागू

किया गया जोर)

68. यू. पी. और अन्य राज्यों में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। वी.

बाबू राम उपाध्याय "ने यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करते हुए कहा कि क्या विधायिका किसी प्रावधान को निर्देशिका या अनिवार्य प्रकृति का बनाना चाहती है, यह निम्नानुसार हैः

" 29 ..... विधानमंडल के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए,

न्यायालय अन्य बातों के साथ-साथ प्रकृति और अभिकल्पना पर विचार कर सकता है।

कानून का, और इसके बाद होने वाले परिणाम इसे एक या दूसरे तरीके से समझना, दूसरे का प्रभाव

जिन प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता

विचाराधीन प्रावधानों से बचा जाता है, परिस्थिति, अर्थात्,

प्रावधानों का अनुपालन, तथ्य यह है कि गैर प्रावधानों का अनुपालन कुछ लोगों द्वारा दौरा किया जाता है या नहीं किया जाता है

दंड, गंभीर या तुच्छ परिणाम जो उससे निकलते हैं,

और, सबसे बढ़कर, क्या कानून का उद्देश्य होगा

पराजित या आगे बढ़े "।

(लागू
किया गया जोर)

69. समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा करना चाहिए।

अब अपीलार्थियों की दलीलों का विश्लेषण करें और विचार करें कि क्या धारा 91 के तहत आवेदन करने के लिए आयुक्त की आवश्यकता निर्देशिका या प्रकृति में अनिवार्य है। ऐसा करते समय, हम विद्वान वकील श्री गोडबोले के इस तर्क को टाल देते हैं कि आयुक्त हर समय निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने पर हस्ताक्षर करने वाली मंत्रिस्तरीय समिति के एक अभिन्न सदस्य होते हैं।

एमएमसी अधिनियम के तहत। 19 (1961) 2 एससीआर 679।

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

70. इस प्रकार, एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण निष्कर्ष की ओर ले जाएगा

इस धारणा का कठोर पालन कि आयुक्त धारा 91 के तहत वास्तव में आवेदन भेजने वाला एकमात्र अधिकारी हो सकता है, सभी परिदृश्यों में आवश्यक नहीं हो सकता है। अपीलार्थियों द्वारा सुझाए गए प्रावधान का निर्माण उस तरह की "व्याख्या की उचित लोच" को रोकेगा जो संग्राम सिंह (सुप्रा) में उल्लेख किया गया था जो एक क़ानून का अर्थ लगाते समय महत्वपूर्ण था।

71. इसके अलावा, हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थियों के लिए क्या पूर्वाग्रह पैदा हुआ है क्योंकि यह मुख्य का कार्यालय था

इंजीनियर जिसने आधिकारिक तौर पर निर्धारित आवेदन को अग्रेषित किया

धारा 91 के तहत प्राधिकरण। दोनों परिदृश्यों में परिणाम, चाहे आयुक्त या प्रावधान के तहत कुछ अन्य आधिकारिक कार्य, यह होगा कि एल. ए. ए. के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जाती है। धारा 91 के तहत आवेदन करने वाले मुख्य अभियंता द्वारा अपीलकर्ताओं के किसी भी अधिकार को निरस्त नहीं किया जाता है। यह इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट होता है कि, किसी भी मामले में, प्रतिवादी संख्या 3 निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा था।

72. अपीलकर्ताओं ने गिरनार ट्रेडर्स 2007 पर निर्भरता रखी है।

(सुप्रा) यह तर्क देना कि आवेदन करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 के विशिष्ट अधिकारी होने की आवश्यकता से विचलित नहीं किया जा सकता है। उस उदाहरण में न्यायालय धारा 127.20 के संदर्भ में एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत भूमि के आरक्षण की समाप्ति पर विचार कर रहा था, इस क्षेत्र को डी. पी. के हिस्से के रूप में चिह्नित किया गया था, लेकिन उसके बाद पूरे एक दशक तक इसे हासिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। आयुक्त नामित किया गया था

2 ओ 127। आरक्षण की समाप्ति। [(1) यदि इस अधिनियम के तहत किसी भी योजना में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए आरक्षित, आवंटित या नामित कोई भूमि उस तारीख से दस साल के भीतर समझौते द्वारा अधिग्रहित नहीं की जाती है।

जो एक अंतिम क्षेत्रीय योजना, या अंतिम विकास योजना लागू होती है [या यदि

धारा 126 की उप-धारा (2) या (4) के तहत घोषणा ऐसी अवधि के भीतर सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जाती है, भूमि में रुचि रखने वाला मालिक या कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि में अपने स्वामित्व या हित को दर्शाने वाले दस्तावेजों के साथ योजना प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, उस आशय के उपयुक्त प्राधिकरण को नोटिस दे सकता है; और यदि ऐसी सूचना की सेवा की तारीख से बारह महीने के भीतर, भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है या उसके अधिग्रहण के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो आरक्षण, आवंटन या पदनाम समाप्त हो गया माना जाएगा, और उसके बाद, भूमि को ऐसे आरक्षण, आवंटन या पदनाम से जारी किया गया माना जाएगा और इस उद्देश्य के लिए मालिक को उपलब्ध हो जाएगाः

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भूमि अधिग्रहण के लिए कदम उठाने के लिए धारा 126 के तहत कार्य करने के लिए अधिकृत प्राधिकरण। एम. आर. टी. पी. अधिनियम 2 की धारा 126 और 127 का विश्लेषण करते हुए,

बहुमत ने कहाः

" 54. जब हम संयुक्त रूप से धारा 126 और 127 को पढ़ते हैं

एम. आर. टी. पी. अधिनियम, यह स्पष्ट है कि विधायी इरादा है

शहर के तहत आरक्षित भूमि का शीघ्र अधिग्रहण करें योजना योजना और इसलिए, विभिन्न अवधियों

मालिक की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए निर्धारित। इरादे.

और धारा 126 और 127 के प्रावधानों का उद्देश्य है

ग्रेटर नगर निगम में अच्छी तरह से समझाया गया है

बॉम्बे केस (ऊपर)। यदि अधिग्रहण कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है संबंधित प्राधिकारी के हाथों में प्राचीन काल से

अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को आवेदन करना

एल. ए. अधिनियम, 1894 के तहत ऐसी भूमि, तब प्राधिकरण

बस इस तरह के एक आवेदन को स्थानांतरित करें और यदि ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है

राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए जारी किया जाता है

धारा 126 (2) के तहत क्षेत्रीय योजना के मसौदे का प्रकाशन

एल. ए. अधिनियम की धारा 6 के साथ पढ़ें, अधिसूचना की प्रतीक्षा करें राज्य सरकार द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए जारी किया जाए

धारा 126 की उप-धारा (4) के तहत शक्ति और तब तक नहीं

धारा 127 के तहत घोषणा की जा सकती है।

2126. योजनाओं में निर्दिष्ट सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण। (1) जहां किसी क्षेत्रीय योजना, विकास या किसी अन्य योजना या नगर योजना योजना के मसौदे के प्रकाशन के बाद, किसी भी समय इस अधिनियम के तहत किसी भी योजना या योजना में निर्दिष्ट किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी भूमि की आवश्यकता होती है या आरक्षित होती है,

योजना प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, या जैसा भी मामला हो, 1 [कोई भी उपयुक्त प्राधिकरण, धारा 113 ए में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर] 2 [भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, -

(क) समझौते द्वारा सहमत राशि का भुगतान करके, या

विकास प्राधिकरण या उपयुक्त प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, पट्टेदार को भुगतान के लिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफ. एस. आई.) या हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टी. डी. आर.) में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर संबंधित अधिकारियों में से किसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली पट्टेदार के ब्याज के मूल्य के बराबर राशि। समर्पण की गई भूमि पर उसकी कीमत पर सुविधा के विकास या निर्माण के खिलाफ अतिरिक्त तल स्थान सूचकांक या हस्तांतरणीय विकास अधिकार, जैसा कि इस संबंध में तैयार अंतिम विकास नियंत्रण विनियम प्रदान करते हैं, या

(ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, डी. आर. के तहत ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को आवेदन देकर।

मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

आरक्षण की समाप्ति और भूमि की सुविचारित घोषणा रिहा किया जा रहा है और उसके लिए भूमि मालिक के लिए उपलब्ध है

धारा 127 के तहत अनुमत उपयोग। धारा 127

अधिग्रहण अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता की अनुमति

भूमि के आरक्षण के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए। नहीं।

या किसी अवधि के भीतर भूमि अधिग्रहण के लिए कदम उठाना भूमि मालिक द्वारा नोटिस की सेवा की तारीख से छह महीने

आरक्षण के लिए। प्रारंभ करने की दिशा में कदम

ऐसी स्थिति में अधिग्रहण अनिवार्य रूप से कदम होगा।

अधिग्रहण के लिए और एक कदम नहीं जिसके परिणामस्वरूप नहीं हो सकता है

अधिग्रहण और केवल समय निकालने के उद्देश्य से

कि धारा 127 लागू नहीं होती है।

55. की सेवा के बाद छह महीने की अवधि प्रदान करना

नोटिस स्पष्ट रूप से एक के विधानमंडल के इरादे को इंगित करता है

तात्कालिकता जहां भूमि के संबंध में कुछ नहीं किया गया है

10 साल की अवधि के लिए योजना के तहत आरक्षित और मालिक उपयोगकर्ता के अनुसार अपनी भूमि के उपयोग से वंचित है

योजना के तहत अनुमति। जब आदेश दिया जाता है

इसकी शुरुआत के रूप में इसका सख्त अनुपालन आवश्यक है। धारा की शक्ति को संतुलित करने के लिए विधायी इरादे के साथ है

'प्रतिष्ठित क्षेत्र' की स्थिति।

(लागू किया गया जोर)

73. यह इस संदर्भ में था कि बहुमत ने नोट किया कि कार्यकारी

इंजीनियर, जो धारा 126 के तहत उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं था, एल. ए. ए. के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। अदालत के साथ जो बात भारी पड़ी वह धारा 126 और 127 का विधायी इरादा था जो "प्रतिष्ठित क्षेत्र की राज्य की शक्ति को संतुलित करना" था। द.

धारा 126 के तहत त्वरित तरीके से कार्य नहीं करने का परिणाम

& 127 डी. पी. का हिस्सा बनने के लिए भूमि का स्वचालित आरक्षण था।

74. इस प्रकार, दो महत्वपूर्ण अंतर कारक हैं

गिरनार ट्रेडर्स 2007 (सुप्रा) और हमारा परिदृश्य। पहला धारा 126 और 127 का अधिदेश और उद्देश्य है जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि डी. पी. पर तेजी से और कुशलता से कार्य किया जाए। एक निजी [2022] 19 एस. सी. आर. के कारण पूर्वाग्रह।

यदि नागरिक की भूमि एम. आर. टी. पी. अधिनियम के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आरक्षित है, लेकिन उसके बाद वर्षों तक अधिग्रहित नहीं की गई है, तो बहुमत द्वारा स्पष्ट रूप से विस्तार से बताया गया था। व्यक्ति आरक्षण के कारण अपनी भूमि के उपयोग से वंचित हो जाएगा, जबकि एल. ए. ए. के तहत इसके लिए मुआवजा प्राप्त नहीं होगा। ऐसी घटना से बचने के लिए एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 126 और 127 का कड़ाई से पालन करना आवश्यक था।

इस तर्क को एमएमसी अधिनियम की धारा 91 में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

75. दूसरा किसी दंडात्मक प्रावधान या परिणाम की कमी है।

76. इस संदर्भ में, उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत भी सहायक है। भारतीय रिजर्व बैंक बनाम में यह न्यायालय। पीयरलेस। जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड & Anr.22 ने निम्नलिखित शब्दों में एक क़ानून की व्याख्या की आवश्यकता को इसके पीछे के संदर्भ और उद्देश्य पर आधारित होने के लिए संदर्भित कियाः

" 33. व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए। वे व्याख्या के आधार हैं। यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि यदि पाठ बनावट है, तो संदर्भ वह है जो रंग देता है। इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वह व्याख्या सबसे अच्छी है जो पाठ्य व्याख्या को मेल खाती है

प्रासंगिक। एक क़ानून की सबसे अच्छी व्याख्या तब की जाती है जब हम जानते हैं कि इसे क्यों लागू किया गया था। इस ज्ञान के साथ, क़ानून को पहले समग्र रूप से और फिर खंड दर खंड, खंड दर खंड, वाक्यांश दर वाक्यांश और शब्द दर शब्द पढ़ा जाना चाहिए। यदि किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए क़ानून निर्माता के चश्मे के साथ देखा जाता है, तो उसकी योजना, धाराएं, खंड, वाक्यांश और शब्द रंग ले सकते हैं और संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए चश्मे के बिना क़ानून को देखने पर अलग दिखाई दे सकते हैं। इन चश्मे के साथ हमें अधिनियम को समग्र रूप से देखना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि प्रत्येक खंड, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश और प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है और इसके लिए डिज़ाइन किया गया है।

22 (1987) 1 एससीसी 424।

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

संपूर्ण अधिनियम की योजना में फिट होने के बारे में कहें। कानून के किसी भी भाग और कानून के किसी भी शब्द को अलग से नहीं समझा जा सकता है। क़ानूनों का अर्थ इस तरह से निकाला जाना चाहिए कि हर शब्द का एक स्थान हो

और सब कुछ अपनी जगह पर है।

77. इसी तरह, एस. गोपाल रेड्डी बनाम। A.P.23 की स्थिति ने कानूनों की व्याख्या करते समय अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण की व्याख्या की और कहाः

" 12. यह क़ानूनों की व्याख्या का एक सर्वविदित नियम है कि क़ानून में उपयोग की जाने वाली किसी भी अभिव्यक्ति की व्याख्या करते समय पूरे अधिनियम के पाठ और संदर्भ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यायालयों को उस उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए जिसे कानून अधिनियम के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करते समय प्राप्त करना चाहता है। अधिनियम की व्याख्या के लिए एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है। हम श्री राव से सहमत होने के लिए खुद को मनाने में असमर्थ हैं कि यह केवल विवाह के समय दी गई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो इसे अधिनियम के तहत दंडनीय 'दहेज' की परिभाषा के भीतर लाएगी, क्योंकि इस तरह की व्याख्या उसी उद्देश्य को विफल कर देगी जिसके लिए अधिनियम बनाया गया था। अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित विवाह के लिए एक विचार के रूप में "दहेज की मांग" भी निम्नलिखित अभिव्यक्ति दहेज के अर्थ के भीतर आएगी।

अधिनियम "।

78. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 91 प्रत्यर्थी संख्या 3, आयुक्त पर भूमि अधिग्रहण शुरू करने के लिए एक वैधानिक जिम्मेदारी लगाती है।

प्रक्रिया।

".....
.....।

एल. ए. ए. के तहत। एक बार जब आयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति का सदस्य हो जाता है और समिति द्वारा यह संकल्प लिया जाता है कि एक नई सार्वजनिक सड़क बनाई जानी चाहिए और इस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए।

एल. ए. ए. के साथ पठित एम. सी. सी. अधिनियम की धारा 91 के तहत, यह अब परिणामी नहीं है कि कौन सा प्राधिकरण इस निर्णय को बताता है। निष्कर्ष यह है कि

सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है। 23 (1996) 4 एससीसी 596।

79. इस हद तक कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को आगे बढ़ाना आवश्यक है

धारा 91 के तहत आवेदन, हम इसे एक अनिवार्य शर्त मानने का कोई कारण नहीं देखते हैं। फिर भी, इस तरह के निर्देशिका प्रावधानों के लिए भी पर्याप्त अनुपालन आवश्यक है। शरीफ-उद-दीन बनाम में। अब्दुल गनी लोन 24 निर्देशिका नियमों के अनुपालन के स्तर के साथ-साथ एक क़ानून के तहत अनिवार्य और निर्देशिका आवश्यकताओं के बीच के अंतर को निम्नलिखित शब्दों में विस्तृत और निर्धारित किया गया थाः

" 9. अनिवार्य नियम और निर्देशिका के बीच का अंतर

नियम यह है कि जबकि पूर्व का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए,

उत्तरार्द्ध के मामले में, पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त हो सकता है

व्यापक प्रस्ताव जिनका अनुमान कई तरीकों से लगाया जा सकता है। निर्माण के नियमों के संबंध में न्यायालयों के निर्णय जो

यह निर्धारित करने में पालन किया जाना चाहिए कि क्या कानून का कोई प्रावधान है

निर्देशिका या अनिवार्य को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता हैः तथ्य यह है

कि कानून एक कर्तव्य निर्धारित करते समय 'होगा' शब्द का उपयोग करता है

इस सवाल पर निर्णायक नहीं है कि क्या यह अनिवार्य है या निर्देशिका प्रावधान। के वास्तविक चरित्र का पता लगाने के लिए

कानून, न्यायालय को उस उद्देश्य का पता लगाना है जो

विचाराधीन कानून का प्रावधान उप-सेवा के लिए है और इसकी रचना और

जिस संदर्भ में इसे अधिनियमित किया गया है। यदि किसी कानून का उद्देश्य होना है

इसके गैर-अनुपालन से पराजित, इसे माना जाना चाहिए अनिवार्य "।

(लागू किया गया जोर)

80. हम यह मानने और पुष्टि करने के लिए इच्छुक हैं कि काफी कुछ हुआ है

धारा 91 का इस हद तक अनुपालन कि यह प्रावधान के पीछे के उद्देश्य को प्राप्त करता है। विद्वान वकील, श्री गोडबोले, उत्तरदाता संख्या 2 में निर्णय लेने की प्रक्रिया की व्यावहारिकताओं को पहले ही इंगित कर चुके हैं। निस्संदेह, प्रत्यर्थी संख्या 3 भूमि की खरीद के लिए धारा 91 के तहत प्रक्रिया शुरू करने पर विचार-

विमर्श में एक भागीदार रहा होगा। अंतिम आवेदन उनसे और बाकी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया गया था।

81. अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 की आवश्यकता

व्यक्तिगत रूप से धारा 91 के तहत पहला कदम उठाना एम. एम. सी. अधिनियम के तहत मौजूद न्यूनतम सुरक्षा उपायों का हिस्सा है और इसका पालन किया जाना चाहिए। हम महसूस करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के प्रावधान के पीछे का उद्देश्य है कि उच्चतम

24 (1980) 1 एससीसी 403।

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

नगर निगम में श्रेणी अधिकारी गोपनीय होता है और अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होता है जो उसकी भागीदारी से हासिल की जाती है और कार्रवाई पर हस्ताक्षर करता है, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से आवेदन भेजता हो।

82. इस संबंध में, हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य मामलों में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ का आयोजन। वी. कलेक्टर

& Ors.25 प्रासंगिक हो जाता है। उच्च न्यायालय बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 और पुणे नगर निगम द्वारा "वन उद्यान" स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों पर विचार कर रहा था। प्रक्रिया में कई कथित दोषों में से एक जो उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए उत्पन्न हुआ, इस तथ्य से संबंधित था कि सहायक

आयुक्त के बजाय आयुक्त ने एल. ए. ए. के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन किया था। यह आग्रह किया गया कि

इस तर्क को खारिज करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि Act.26 की धारा 78 के तहत आयुक्त नामित प्राधिकारी थे।

" 24. हम याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि यह सहायक नगर आयुक्त नहीं है, बल्कि स्वयं आयुक्त है जिसे उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन करना चाहिए था। इसलिए, भले ही याचिकाकर्ता का तर्क स्वीकार किया जाता है कि कलेक्टर को भेजा गया वास्तविक आवेदन जिसमें भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।

इश्यू पर हस्ताक्षर किए गए और सहायक नगर निगम द्वारा भेजा गया

आयुक्त द्वारा न कि उक्त के आयुक्त द्वारा

निगम स्वयं, हम यह नहीं पाते हैं कि यह मुद्दे में अधिग्रहण कार्यवाही की शुरुआत में एक घोर अवैधता का गठन करेगा। हमारे विचार में, एक बार जब प्रस्ताव को आयुक्त द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो आयुक्त द्वारा संसाधित किया जाता है और कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार भेजा जाता है।

25 2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1067।

26 78. प्रक्रिया जब अचल संपत्ति का अधिग्रहण समझौते द्वारा नहीं किया जा सकता है (1) जब भी आयुक्त धारा 77 के तहत समझौते द्वारा किसी भी अचल संपत्ति या निगम में निहित किसी भी अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाली किसी भी सुविधा का अधिग्रहण करने में असमर्थ होता है या जब भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निगम में निहित किसी भी अचल संपत्ति या किसी अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाली किसी भी सुविधा की आवश्यकता होती है, तो 1 [राज्य] सरकार अपने विवेकाधिकार पर, आयुक्त के आवेदन पर, स्थायी समिति के अनुमोदन से और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, निगम की ओर से इसे प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करने का आदेश दे सकती है, जैसे कि ऐसी संपत्ति या सुविधा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 [1804 का 1] के अर्थ के भीतर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि थी।

आयुक्त, केवल इसलिए कि उसी पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे

स्वयं आयुक्त द्वारा नहीं बल्कि सहायक नगर निगम द्वारा

आयुक्त, कानून में, दूषित करने का वारंट देने के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा

अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया। हमारी राय में, यदि यह है

प्रदर्शित किया कि पर्याप्त अनुपालन के साथ किया जाता है

उक्त अधिनियम की धारा 78 की वैधानिक आवश्यकता, कोई दोष नहीं

इस आधार पर इन अधिग्रहण कार्यवाही के साथ पाया जा सकता है

जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है।

(लागू

किया गया जोर)

83. इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने इस विशेष तर्क का खंडन किया

याचिकाकर्ताओं द्वारा। हालाँकि, वन उद्यान की स्थापना में पाई गई कुछ अन्य विसंगतियों के कारण याचिकाकर्ताओं की रिट याचिकाओं को समग्र रूप से अनुमति दी गई थी। पुणे नगर निगम ने इस फैसले के खिलाफ एक एसएलपी दायर की, जिसमें उच्च न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष पर जोर दिया गया, जो उस विशिष्ट मुद्दे से असंबंधित है जिससे हम वर्तमान मामले में संबंधित हैं। इस तथ्य के बावजूद कि मामला उप बना हुआ है

मामले के अन्य पहलुओं पर विचार करते हुए, हम इस तर्क को पलटने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के तर्क में कुछ प्रथम दृष्टया योग्यता पाते हैं कि केवल आयुक्त ही एल. ए. ए. के तहत भूमि के आरक्षण और अधिग्रहण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

84. जैसा कि विद्वान वकील, श्री गोडबोले, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है

एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 के तहत की गई कार्रवाई के लिए सं. 3 की मंजूरी की मुहर दी गई थी। इसलिए, हमारा मानना है कि एक बार प्रस्ताव को आयुक्त द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, अंतिम आवेदन पर उनसे औपचारिक हस्ताक्षर का अभाव एक गंभीर दोष नहीं है और इसके बाद की पूरी प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता है।

85. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हम संतुष्ट हैं कि खंड

91 इस मामले में एम. एम. सी. अधिनियम का काफी हद तक पालन किया गया है। अब हम प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन के मुद्दे पर अपीलार्थियों द्वारा दूसरे तर्क की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जो

कि राज्य सरकार द्वारा आदेश की कथित अनुपस्थिति है। एल. ए. ए. के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के लिए।

86. अपीलार्थियों के दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए हम

एक बार फिर से 26.11.2007 पर पारित मुआवजे के अंतिम पुरस्कार का उल्लेख करें। मुख्य शीर्षक "पुरस्कार के कारण" के तहत उप-शीर्षक "परिचय" के तहत, यह ध्यान दिया जाता है कि मुख्य अभियंता के कार्यालय ने विचाराधीन भूमि की खरीद के लिए कलेक्टर 05.02.1999 को आवेदन भेजा था। आवेदन के बाद, यह दर्ज किया गया था किः

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

" दि एडल्ट। कलेक्टर एम. एस. डी. अपने पत्र के साथ। 21/7/99 उक्त प्रस्ताव को इस कार्यालय को इस कार्यालय को निर्देश देते हुए भेजा

प्रक्रिया अधिग्रहण कार्यवाही '।

87. इसलिए, हम प्रतिवादी अधिकारियों के कार्यों में दुर्बलता का पता लगाने में असमर्थ हैं। अतिरिक्त कलेक्टर, की ओर से कार्य करते हुए

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रस्ताव को एल. ए. ए. के तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और शुरू करने के लिए एस. एल. ए. ओ. को भेज दिया। एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 में राज्य सरकार के आदेश का कोई संकेत नहीं है। भूमि अधिग्रहण को एक विशिष्ट रूप में किया जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, हमारे पास नहीं है

इस आवश्यकता के लिए एक व्यावहारिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने में हिचकिचाहट। यह पर्याप्त है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 में संबंधित कार्यालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 से आवेदन स्वीकार कर लिया और इसे एल. ए. ए. के तहत कार्य करने के लिए सशक्त अधिकारियों को बता दिया। अतिरिक्त से निर्देश एस. एल. ए. ओ. के कलेक्टर के लिए प्रतिवादी संख्या 2 के अनुरोध को संसाधित करना एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 का पर्याप्त अनुपालन होगा।

88. किसी भी मामले में, प्रतिवादी सं। 10 & 11 , भूमि की खरीद के लिए एल. ए. ए. के तहत कदम उठाने में, के लिए और उसकी ओर से कार्य किया

प्रतिवादी नं. 1. इस प्रकार, यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी संख्या 1 लिंक रोड के निर्माण के लिए अपीलार्थियों की भूमि का अधिग्रहण करने की पहल के साथ पूरी तरह से सहमत था। यह तथ्य कि एल. ए. ए. के तहत सभी कदम उठाए गए थे, इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि प्रतिवादी संख्या 1 के शामिल होने और प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यों को मंजूरी देने के संबंध में धारा 91 की भावना और योजना का पालन किया गया है। 10 & 11 .

89. संक्षेप में, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन न करने के आधार पर अपीलकर्ताओं द्वारा आपत्तियां

एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 बिना योग्यता के है। प्रावधान का पर्याप्त अनुपालन किया गया है और इसके अंतर्निहित उद्देश्य का सम्मान किया गया है।

सी. 3. जनहित v. निजी हित

90. हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम वर्तमान विवाद की प्रकृति का जायजा लें। अपीलार्थी निजी नागरिक हैं जिनके पास वैध अधिकार हैं और

विचाराधीन भूमि पर स्वामित्व। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके व्यक्तिगत और निजी अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। कानून के शासन द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक समाज में, एक व्यक्ति के अधिकारों का बहुत

महत्व है और ये वे मूलभूत खंड हैं जिन पर हमारा कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पनपता है। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के अधिकार [2022] 19 एस. सी. आर. नहीं होने चाहिए।

नागरिकों को मनमाने ढंग से कुचला जाना चाहिए और उनमें किसी भी कटौती की अत्यधिक सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए।

91. साथ ही, हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि कई स्थितियों में, कई की ज़रूरतें कुछ की ज़रूरतों से अधिक होनी चाहिए। हम ऐसा न तो किसी उत्साह के साथ कहते हैं और न ही एक मंत्र के रूप में, बल्कि एक गंभीर रूप में कहते हैं। आधुनिक जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना। "जनहित" का गठन क्या है, इस सवाल पर कई बार विचार किया गया है और इस न्यायालय का इतिहास विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में इस वाक्यांश की सटीक रूपरेखा पर विभिन्न पीठों द्वारा किए गए विचारों से भरा हुआ है।

क़ानून।

92. मणिमेगलाई बनाम। विशेष तहसीलदार, 27 का अनुमान था किः

" 14. इसी तरह, सार्वजनिक उद्देश्य सटीक परिभाषा देने में सक्षम नहीं है। प्रत्येक मामले पर उस उद्देश्य के आलोक में विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए अधिग्रहण की मांग की गई है। यह सेवा करने के लिए

व्यक्ति के विशेष हित के विपरीत समुदाय का सामान्य हित। व्यापक रूप से सार्वजनिक उद्देश्य

इसमें वह उद्देश्य शामिल होगा जिसमें सामान्य हित

समाज के विशेष हित के विपरीत

व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से और महत्वपूर्ण रूप से चिंतित है। आम तौर पर, कार्यपालिका यह निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश होगा कि विवादित उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य है या नहीं। फिर भी यह न्यायिक जांच के दायरे से बाहर नहीं है। समाज के किसी वर्ग का हित सार्वजनिक उद्देश्य हो सकता है जब उसे अधिग्रहण से लाभ होता है। विचाराधीन अधिग्रहण से यह संकेत मिलना चाहिए कि यह लोगों के कल्याण के लिए था न कि किसी निजी व्यक्ति या सामूहिक रूप से शामिल व्यक्तियों के समूह को लाभान्वित करने के लिए। इसलिए, किसी भी ऐसी चीज के लिए अधिग्रहण जो जनता के लिए नहीं है। उद्देश्य अनिवार्य रूप से नहीं किया जा सकता है।

93. बी. पी. शर्मा बनाम "जनहित" या "आम जनता के हित में" जैसे वाक्यांशों की अस्पष्ट प्रकृति पर टिप्पणी की गई थी, जिसमें न्यायालय ने कहा थाः

" 15. ..... "आम जनता के हित में" वाक्यांश पर कई निर्णयों में विचार किया गया है और यह माना गया है कि इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता, आर्थिक स्थिरता, देश की स्थिरता जैसे इसके दायरे के हित शामिल होंगे।

27 (2018) 13 एससीसी 491। 28 (2003) 7 एससीसी 309।

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

सार्वजनिक जीवन में शुद्धता बनाए रखने, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं का समान वितरण।

और इसी तरह के विचार "।

94. बिहार लोक सेवा में इस बात पर जोर दिया गया था।

आयोग v. सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी और Anr.29 ने भी माना कि "जनहित" के लिए कोई सख्त परिभाषा मौजूद नहीं हैः

" 22. "जनहित" अभिव्यक्ति को इसके सही अर्थ में समझना होगा ताकि इसे पूरा अर्थ दिया जा सके।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान। "लोक हित" अभिव्यक्ति को इसके सभी अपवादों के साथ इसके सख्त अर्थों में देखा जाना चाहिए ताकि अधिनियम के संदर्भ में वैधानिक छूट से इनकार को उचित ठहराया जा सके। अपनी आम बोलचाल में, "सार्वजनिक हित" अभिव्यक्ति, "सार्वजनिक उद्देश्य" की तरह, किसी भी सटीक परिभाषा में सक्षम नहीं है। इसका कोई कठोर अर्थ नहीं है, यह लोचदार है और जिस कानून में यह होता है, उससे अपना रंग लेता है, यह अवधारणा समाज के समय और स्थिति और इसकी आवश्यकताओं के साथ बदलती रहती है। इसका अर्थ जनता का सामान्य कल्याण भी है जो मान्यता और संरक्षण की गारंटी देता है;

कुछ ऐसा जिसमें समग्र रूप से जनता की हिस्सेदारी हो।

95. इस मुद्दे को तूल देना अनावश्यक है। प्रस्ताव केवल यह है कि सार्वजनिक हित की धारणा अनिवार्य रूप से प्रतिबिंबित करेगी

हाथ में स्थिति की विशिष्टताएँ। वर्तमान मामले में, जनहित जिस पर प्रत्यर्थियों द्वारा जोर दिया गया है, अपीलार्थियों की संपत्ति के माध्यम से एक जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। द. महाकाली गुफाओं से केंद्रीय एम. आई. डी. सी. तक के मार्ग पर यातायात की भीड़ के कारण आवश्यकता उत्पन्न होती है। एक सीधे संपर्क की कमी के लिए चक्कर लगाने की आवश्यकता होती है जो आने-जाने के समय को काफी बढ़ाती है और आम जनता के लिए असुविधा का कारण बनती है।

96. जब जनहित को इतना स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है और यह तत्काल होता है

और अतिआवश्यकता, निजी हितों को आवश्यक सीमा तक रास्ता देना चाहिए। यह न्यायालय पहले भी इसे स्वीकार कर चुका है, जैसे कि रामिलिला मैदान घटना बनाम। गृह सचिव, भारत संघ & Ors.³0:

" 119. लोकतंत्र में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन अनुच्छेद 19 (1) (ए) के संदर्भ में किया जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक शांति राज्य का एक कार्य है जिसका कर्तव्य है -

व्यापक लोक हित में राज्य द्वारा निष्पादित। द.

29 29 (2012) 13 एससीसी 61। 30 (2012) 5 एससीसी 1.

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निजी अधिकार को जनहित के विरुद्ध माफ किया जाना है। यह कार्रवाई

राज्य और पुलिस कानून के अनुरूप थे। ए के रूप में

सुबह बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने वाले थे।

5 जून, 2011 और अन्य परिचर परिस्थितियों पर विचार करते हुए

खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के आलोक में देखा गया,

अनुमति रद्द कर दी गई थी और इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति

रामलीला मैदान में शिविर तितर-बितर कर दिए गए।

(लागू

किया गया जोर)

"प्रख्यात क्षेत्र" की उत्पत्ति का पता लगाया गया और सार्वजनिक भलाई के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के पीछे के लोकाचार पर चर्चा की गई। न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में इस बारे में विस्तार से बताया:

" 134. ह्यूगो ग्रोटियस को इस शब्द के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। " प्रख्यात क्षेत्र "(जस या डोमिनियम एमिनेन्स) जिसका तात्पर्य है

कि सार्वजनिक अधिकार हमेशा संपत्ति के निजी अधिकारों के साथ ओवरलैप करते हैं,

और सार्वजनिक उपयोगिता के मामले में, सार्वजनिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है।

ग्रोटियस की शक्ति के प्रयोग पर दो शर्तें निर्धारित करता है

प्रख्यात क्षेत्रः पहली आवश्यकता सार्वजनिक लाभ है और

यदि संभव हो तो सार्वजनिक निधियों से क्षतिपूर्ति की जाए।

जिसने अपना अधिकार खो दिया है। उपरोक्त का अनुप्रयोग

सिद्धांत अलग-अलग देशों में अलग-अलग होता है। जर्मनी,

अमेरिका और ऑस्ट्रेलियाई संविधान बिना मुआवजे के प्रतिबंध लगाते हैं

कमाई। हालाँकि, कनाडा के संविधान में शामिल नहीं है लेने वाले खंड के समतुल्य, और प्रतिष्ठित क्षेत्र केवल है

कानून का मामला, संयुक्त राज्य में भी यही स्थिति है राज्य जिसमें लिखित संविधान भी नहीं है

44 वें संविधान संशोधन के बाद अब भारत में।

(लागू किया गया जोर)

98. इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान मामले को मानते हैं

एक उपयुक्त उदाहरण होना चाहिए जहां सार्वजनिक हित निजी हित पर सर्वोपरि होना चाहिए। हम अलग होने से पहले एक बार फिर इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों को केवल तभी कम किया जाना चाहिए जब इस तरह के कठोर उपाय की मांग करने वाली आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हों।

99. विद्वान वकील, श्री गोडबोले ने हमें स्पष्ट रूप से समझाया है

कि अपीलार्थियों की संपत्ति के माध्यम से सड़क की योजना का मानचित्रण किया गया है

31 (2011) 9 एससीसी 1.

डॉ. मुंबई के अब्राहम पटानी और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य। [सूर्या कान्ट, जे,]

इस तरह से कि यह उन इमारतों को परेशान नहीं करेगा जो उस पर बनाई गई हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री दीवान ने उचित रूप से स्वीकार किया है कि वास्तव में यह मामला है। इसे देखते हुए, हम मानते हैं कि एक उपयुक्त मध्य आधार पर पहुंचा गया है जो व्यावहारिक है और पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धी हितों को बेहतर ढंग से संतुलित करता है।

D. निष्कर्ष

100. ऊपर वर्णित कारणों से, हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अधिग्रहण का निर्देश देने के लिए एम. एम. सी. अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का वैध रूप से प्रयोग किया

अपीलार्थियों की भूमि। अपीलार्थियों का यह तर्क कि एम. आर. टी. पी. अधिनियम एम. एम. सी. अधिनियम पर सर्वोच्चता बनाए रखता है, हमारी राय में कानून की सही स्थिति नहीं है, और दोनों क़ानून कुछ हद तक ओवरलैप के साथ-साथ मौजूद हैं। एम. एम. सी. अधिनियम के तहत शक्तियां बरकरार हैं

ऐसे मामलों में जहां वे किसी ऐसे विषय को शामिल करते हैं जो एम. आर. टी. पी. अधिनियम में भी प्रदान किया गया है।

101. भूमि की खरीद के लिए एल. ए. ए. के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 91 के तहत विचार की गई प्रक्रिया थी काफी हद तक पालन किया। अपीलार्थी द्वारा निर्भर प्रावधान का हिस्सा प्रकृति में निर्देशिका है और इसके लिए सख्त अनुपालन के बजाय पर्याप्त अनुपालन की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया के कुछ पहलुओं के बारे में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियां निराधार हैं क्योंकि उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था, और कथित दोष पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के लिए लगभग गंभीर नहीं हैं।

102. इन निष्कर्षों के आलोक में, हम विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री नाफडे की प्रस्तुतियों पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं मानते हैं।

अपीलार्थियों की सत्यनिष्ठा और समता के आधार पर राहत के लिए उनकी पात्रता के संबंध में। उत्तरदाताओं के पक्ष में दिए गए अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, यह मुद्दा विवादास्पद हो जाता है।

103. अंतिम परिणाम में, हम वर्तमान अपील को खारिज करते हैं

योग्यता से रहित।

104. लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान और अनुराग भास्कर (सहायकः राहुल कुमार, एलसीआरए)